



RDSA/MINES/2023-24/28

Dated-16.08.2023

To

The Deputy Conservator of Forests,  
Pratapgarh, Rajasthan

Subject: - Submission of compliance of the ***In-Principle/Stage-I*** approval for diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in favour of RDSA MINING LLP for opencast Marble Mining (Plot No. 02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil – Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan. Online Proposal No. – FP/RJ/MIN/142600/2021

Ref: - ***In-Principle/Stage-I*** approval of the Government of India, MOEF&CC Regional Office, Gandhinagar (Sub Regional Office, Jaipur) **dated 10-07-2023.**

Dear Sir,


With reference to above subject, we are submitting herewith the detailed compliance report of the ***In-Principle/Stage-I*** approval for diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in favour of RDSA MINING LLP for opencast Marble Mining (Plot No. 02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil – Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan (Online Proposal No. – FP/RJ/MIN/142600/2021) issued by the Government of India, MOEF&CC Regional Office, Gandhinagar (Sub Regional Office, Jaipur) **dated 10-07-2023.**

You are requested to kindly forward it for further action after due examination and necessary action from your office for issuance of final/Stage-II approval please.

Enclosed: - Detailed compliance report with annexures.

Thanking You with Regards,

For RDSA MINING LLP

  
V.K. Ghiya  
(Chief Executive Officer)

**RDSA MINING LLP**

  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

*(The LLP is Registered with Limited Liability)*



Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in favour of RDSA MINING LLP for opencast Marble Mining (Plot No. 02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil – Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan.

Online Proposal No. – FP/RJ/MIN/142600/2021

Compliance of the ***In-Principle/Stage-I*** approval of the Government of India, MOEF&CC Regional Office, Gandhinagar (Sub Regional Office, Jaipur) **dated 10-07-2023**

A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:		
No	Condition	Compliance
1	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme proposed by DCF, Pratapgarh <b>Rs. 33.95700 Lacs</b> is deposited by us including cost of maintenance for 10 years in CAMPA fund vide challan application no 58142600612 dated 14-08-2023 a copy of challan enclosed herewith. Also cost of survey, demarcation and erection of 10 number of permanent pillars on the CA land <b>Rs. 1.01000 Lacs</b> is deposited with DCF, Pratapgarh vide demand draft no 058453 dated 14-08-2023 a copy of the same is enclosed herewith.
2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the <b>10.4162 ha</b> forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No.5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard.	Transfer of funds of <b>Rs. 127.97239 Lacs</b> towards the cost of Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal in accordance with the MoEF&CC's guidelines and demand raised by DCF, Pratapgarh is done by us in CAMPA fund vide challan application no 58142600612 dated 14-08-2023.

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

RDSA MINING LLP  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer


उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़



3	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Final/Stage-II approval.	The non-forest land identified for CA is already transferred and mutated in favour of the State Forest Department. Proposals for notification to declare this land as PF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 already prepared and submitted by DCF, Pratapgarh and recommended by CCF, Udaipur. Copy of the proposed Notification enclosed herewith.
4	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	Payment of NPV already done and an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India is enclosed herewith.
5	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	Complete compliance of the FRA, 2006 is ensured and prescribed certificate issued by District Collector, Pratapgarh with all the proceedings is submitted herewith.
6	<b>The boundary of the diverted forest land, mining lease area and safety zone shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of concerned Divisional Forest Officer.</b>	The boundary of the diverted forest land, mining lease area and safety zone will be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of concerned Divisional Forest Officer. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
7	The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be	To be complied by DCF, Pratapgarh.
8	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.	1.Funds under the project as per demand raised by DCF, Pratapgarh towards CA NFL, CA DFL, NPV, construction of 6 ft. boundary wall in NFL and construction of 6 ft. boundary wall separating the forest land are deposited in CAMPA account through e-portal. Copy of challan already enclosed. 2.Funds for NFL boundary pillars is deposited with DCF, Pratapgarh as per directions of DCF, Pratapgarh.

C.S.

  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

  
खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

**RDSA MINING LLP**  
  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer



**B: Conditions which needs to be strictly complied on filed after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-II approval:**

No	Condition	Compliance
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Will be complied with.
2	Forest land will be handed over to the User Agency only after required non- forest land for the project is handed over to the User Agency.	Required 10.50 Ha. non-forest land for the project already handed over to the state forest department
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 10.50 ha non-forest land, Khasra No. 68/4, Village-Sevanagar, Tehsil- Dhariyavad, District-Pratapgarh and 27.7666 ha degraded forest land, Compartment No. Sagbari (PF), Village- Kelamela, Tehsil- Pipalkhunt, District- Pratapgarh of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono- culture of any species may be avoided.	The Compensatory afforestation over 10.50 ha. non-forest land, Khasra No. 68/4, Village-Sevanagar, Tehsil- Dhariyavad, and 27.7666 ha degraded forest land in forest block Sagbari (PF), Village- Kelamela, Tehsil- Pipalkhunt, District- Pratapgarh will be taken up at the cost of user agency for which amount of <b>Rs. 33.95700 Lacs &amp; Rs. 40.63400 Lacs</b> is deposited in CAMPA fund vide challan application no 58142600612 dated 14-08-2023.
4	User agency shall restrict the felling of trees to 4245 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled " under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	Felling of trees will be restricted to 4245 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees will be felled" under the strict supervision of the State Forest Department. After getting final approval, cost to be involved in felling of trees will be deposited by us with the State Forest Department. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
5	<b>The User Agency either itself or through the State Forest Department shall undertake fencing, protection and afforestation of the safety zone area (7.5 meter) strip shall be kept within the mining lease or mining cluster, as applicable and such other areas as specified in the approved mining plan) at the project cost. Area of safety zone of a mining lease shall be a part of the total area of the mining lease.</b>	We the User Agency as per direction of DCF, Pratapgarh will undertake fencing, protection and afforestation of the safety zone area (7.5 meter) strip shall be kept within the mining lease at the project cost. Area of safety zone of mining lease will be kept as a part of the total area of the mining lease. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
6	<b>The user agency shall undertake mining and reclamation of the mined out area as per the approved mining plan and the directions of the concerned Divisional Forest Officer.</b>	We will undertake mining and reclamation of the mined out area as per the approved mining plan and the directions of DCF, Pratapgarh. An undertaking is enclosed herewith in this regard.

C.S.

उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

16/8/2023 खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

RDSA MINING LLP

(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer



7	The concerned Divisional Forest Officer, will monitor and take necessary mitigative measures to ensure that there is no adverse impact on the forests in the surrounding area.	We at the level of user agency will regularly monitor and take necessary mitigative measures to ensure that there is no adverse impact on the forests in the surrounding area. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
8	Land so diverted shall revert back to the Forest Department in case it is not needed for the above use after due restoration to its original status (as far as possible and to the satisfaction of State Forest department).	The diverted land will be reverted back to the Forest Department in case it is not needed after due restoration to its original status (as far as possible). An undertaking is enclosed herewith in this regard.
9	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused by us. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
10	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	Already applied to the competent authority to obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 which is in progress.
11	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	Layout plan of the proposal will not be changed without prior approval of Central Government. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
12	The change in the layout plan of the mining lease, if required, shall be done as prescribed in the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018 and Chapter-5 of Comprehensive Guideline F. No. 5-2/2017-FC dt 28/03/2019.	The change in the layout plan of the mining lease, if required, will be done as prescribed in the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018 and Chapter-5 of Comprehensive Guideline F. No. 5-2/2017-FC dt 28/03/2019. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
13	No labour camp shall be established on the forest land.	No labour camp will be established by us on the forest land. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
14	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	We will provide preferably alternate fuels to the labourers after purchasing the same from legal source of alternate fuel. An undertaking is enclosed herewith in this regard.


C.S.  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

11/16/8/2023  
खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

RDSA MINING LLP  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer



15	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	Boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of DCF, Pratapgarh. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
16	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
17	<b>The period of diversion of the said forest land shall be co-terminus with the period of the mining lease granted under the Mines and Minerals (Development &amp; Regulating) Act, 1957 or Rules framed thereunder.</b>	Will be complied with.
18	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	The forest land will not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
19	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	Will be complied with. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
20	The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.	We will ensure to submit the annual self - compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year regularly. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
21	The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	Will be complied with. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
22	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	No violation of FCA will be ensured by us. An undertaking is enclosed herewith in this regard.

C.S.  
  
 उप वन संरक्षक  
 प्रतापगढ़

12/16/8/2023  
 खनि अभियन्ता  
 खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
 प्रतापगढ़ (राज.)

RDSA MINING LLP  
  
 (V.K. GHIYA)  
 Chief Executive Officer



23	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	Will be complied with. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
24	The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).	The compliance report uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).

**Specific Conditions:**

No	Condition	Compliance
1	The User Agency will not use the diverted land for construction of buildings and other non-site specific activities.	We will not use the diverted land for construction of buildings and other non-site specific activities. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
2	Muck will not be disposed on forest/charagah land outside the proposed diversion land.	Muck will not be disposed by us on forest/charagah land outside the proposed diversion area. An undertaking is enclosed herewith in this regard.
3	Six feet high boundary wall shall be constructed and plantation in 10 meter strip along the wall separating the forest land and diverted land at the cost of the User Agency	As per demand raised by DCF, Pratapgarh amount of <b>Rs. 15.07500 Lacs</b> towards construction of Six feet high boundary wall separating the forest land and diverted land and cost of raising 10 meter wide strip of plantation along this wall as <b>Rs. 0.74250 Lacs</b> is also deposited in CAMPA fund vide challan application no 58142600612 dated 14-08-2023.
4	Six feet high boundary wall shall be constructed along the boundary of the Non-Forest Land (NFL) proposed for CA towards the habitation and agriculture fields to prevent encroachment at the cost of User Agency.	As per demand raised by DCF, Pratapgarh amount of <b>Rs. 16.75000 Lacs</b> towards construction of Six feet high boundary wall along the boundary of the Non-Forest Land (NFL) proposed for CA towards the habitation and agriculture fields to prevent encroachment is deposited in CAMPA fund vide challan application no 58142600612 dated 14-08-2023.

C.S.

उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

16/8/2023  
खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

RDSA MINING LLP  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer



Ref. No. RDSA/Mines/22-23/30

Date-16.08.2023

श्रीमान,  
उप वन संरक्षक महोदय  
प्रतापगढ़ (राजस्थान)

विषय:- Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (plot no-02/2019) in Revenue Village- Kelamela, Tehsil- Pipalkhunt, Dist-Pratapgarh, Rajasthan (Proposal no- FP/RJ/MIN/142600/2021)

सन्दर्भ- आपका पत्र क्रमांक:-एफ./तक/उवसं/2021-22/4468-73 दिनांक 08.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षेत्रीय कार्यालय गांधीनगर) के पत्र 8B/RAJ003/2023-JPR दिनांक-10.7.2023 द्वारा जारी सैदान्तिक स्वीकृति की शर्तों की पालना के कम में आपके सन्दर्भित पत्र में दिये गये निदेशों के अनुसार शर्त संख्या A-1,2 ,एवं B-5 की पालना में पत्र की तालिका में दर्शाई गयी मांग अनुसार आवश्यक धन राशि केम्पा फंड में शर्त संख्या A-8 के अनुरूप ई पोर्टल के माध्यम से जमा करा दी गई है। जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है

क्रम संख्या	भारत सरकार की शर्त संख्या मय विवरण	माग राशि (रुपये)	जमा की गयी राशि (रुपये)	आनलाईन चालान संख्या एवं दिनांक
1	A-1- C.A. NFL -10.50 Ha.	33,95,700/-	33,95,700/-	<b>58142600612</b> <b>Dt 14-08-2023</b>
2	A-1- C.A. DFL -27.7666 Ha.	40,63,400/-	40,63,400/-	
3	A-2 -NPV -10.4162 Ha.	1,27,97,239/-	1,27,97,239/-	
4	B-5 Safety zone Regeneration in 1.571 Ha	1,17,825/-	1,17,825/-	
5	Specific conditions 3- 6 feet boundary wall Diverted Forest Land 450 Rmt	15,07,500/-	15,07,500/-	
6	Specific conditions 3- Plantation in 10 Meter strip along 450 Rmt wall 0.45 Ha.	74,250/-	74,250/-	
7	Specific conditions 4- 6 feet boundary wall NFL (habitation and agriculture fields) 500 Rmt	16,75,000/-	16,75,000/-	

**RDSA MINING LLP**



(V.K. GHIYA)

Chief Executive Officer

(The LLP is Registered with Limited Liability)





साथ ही भारत सरकार की शर्त संख्या 1 तथा **Specific conditions** की पालना में तालिका में दशाई गयी मांग अनुसार आवश्यक धन राशि का डिमांड ड्राफ्ट उपवन संरक्षक प्रतापगढ़ के नाम निम्नानुसार बनाया जाकर संलग्न प्रस्तुत है।

क्रम संख्या	भारत सरकार की शर्त संख्या मय विवरण	मांग राशि (रुपये)	जमा की गयी राशि (रुपये)	डीमांड ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक
1	A-1- C.A. NFL -10.50 Ha. भूमि के सीमांकन हेतु 4 फीट उचाई के 10 पीलर निर्माण हेतु आवश्यक धन राशि	1,01,000/-	1,01,000/-	<b>058453</b> <b>Dt 14-08-2023</b>

— इसके अतिरिक्त भारत सरकार की शर्त संख्या **A6 & B-5- Safety Zone Mannagement** के तहत 7.50 मीटर में **Safety Zone** का निर्माण एवं खनिज अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग प्रतापगढ़ के सुपरविजन में सीमांकन रिपोर्ट के अनुरूप सीमा का निर्धारण कर 4 फीट ऊंचाई के आर सी सी पिल्लर्स के साथ कांटेदार तारों से फेंसिंग का निर्माण, यूजर एजेन्सी के स्तर पर किया जाएगा। जिस हेतु आप द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पर पृथक से चाहा गया शपथ पत्र भी संलग्न प्रस्तुत हैं।

— साथ ही आप के निर्देश अनुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगाई गयी समस्त समस्त शर्तों की पालना के क्रम में 500 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न प्रस्तुत हैं।

— बिन्दुवार समस्त अण्डरटैकिंग भी तैयार कर खान एवं भू विज्ञान विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर करा कर संलग्न किये जा रहे हैं।

— इसी क्रम में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 16 (Mining) 2021/ एफसीए/ प्रमुवसं/ 6716-18 दिनांक 12.07.2023 द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति दो दैनिक समाचार पत्रों क्रमशः राजस्थान पत्रिका (हिन्दी) दिनांक 27.07.2023 एवं Times of India (अंग्रेजी) दिनांक 27.07.2023 में प्रकाशित कराई जा चुकी है। जिनकी प्रति भी संलग्न की जा रही है।

इसके अतिरिक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना भी पृथक से प्रस्तुत की जा रही है।

सधन्यवाद


भवदीय

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
RDSA MINING LLP

*(The LLP is Registered with Limited Liability)*



## AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  Union Bank of India

## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 14-08-2023

Agency Name.	RDSA MINING LLP
Application No.	58142600612
MoEF/SG File No.	8B/RAJ003/2023-JPR
Location.	RAJASTHAN
Address.	A-404, Amar Villas Apartment Udaipur
Amount(in Rs)	23630914/-

Amount in Words : Two Crore Thirty-Six Lakh Thirty Thousand Nine Hundred and Fourteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508558142600612 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

## BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  Union Bank of India

## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 14-08-2023

Agency Name.	RDSA MINING LLP
Application No.	58142600612
MoEF/SG File No.	8B/RAJ003/2023-JPR
Location.	RAJASTHAN
Address:	A-404, Amar Villas Apartment Udaipur
Amount(in Rs)	23630914/-

Amount in Words : Two Crore Thirty-Six Lakh Thirty Thousand Nine Hundred and Fourteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508558142600612 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

**Note:** After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR NO → IBKLR92023081400026675

RTGS done on above mention challan details



14/8/23



आदात के खाते में  
A/C PAYEE ONLY



MUMAL TOWERS  
16 SAHELI MARG UDAIPUR RAJASTHAN - 313001

आईडीबीआई ओमनीपे/IDBI OMNIPAY

Sr.No.: 58453

जारी करने की तारीख से तीन महीने के लिए मान्य  
VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

दिनांक  
DATE

1	4	0	8	2	0	2	3
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

ON DEMAND PAY DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS PRATAPGARH

को या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES One Lakh One Thousand only

प्राप्त मूल्य के लिए

अदा करें।



\*\*\*1,01,000.00

अदा करें/FOR VALUE RECEIVED

\* Not Over INR. 1,01,000.00

कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड/For IDBI BANK LTD.

खाता सं०  
A/c No. 05030100010050

Pur: RDSA MINING LLP

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
Authorised Signatory  
क्रम सं./Sr. No.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
Authorised Signatory  
क्रम सं./Sr. No.

Payable at par at all IDBI Bank Branches in India

⑈058453⑈ 000259000⑈ 005000⑈ 16





राजस्थान RAJASTHAN

BN 928902



शपथ पत्र


वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/MIN/142600/2021 Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (plot no-02/2019) in Revenue Village- kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, Dist- Pratapgarh, Rajasthan के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षेत्रीय कार्यालय गांधीनगर) के पत्र 8B/RAJ003/2023-JPR दिनांक-10.7.2023 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की पालना किये जाने के सहमति स्वरूप इस कार्यालय के पत्र क्रमांक RDSA/MINES/2023-24/28 दिनांक 16.08.2023 के द्वारा प्रस्तुत किये गये पालना प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों की पुष्टि हेतु मैं विमलेश कुमार घीया पुत्र स्व. श्री कमल प्रसाद घीया उम्र 52 वर्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी RDSA MINING LLP बतौर यूजर एजेन्सी शपथ पूर्वक कथन करता हु कि :-

:- शर्त संख्या A-6 एवं B-5 की पालना में Safety Zone Mannagement के तहत यूजर एजेन्सी द्वारा 7.50 मीटर में Safety Zone का निर्माण लीज के कुल क्षेत्रफल में किया जायेगा। जिस हेतु लीज की सीमा विवरण अनुसार 4 फीट उचाई के आर सी सी पिल्लर्स के साथ काटेदार तारों से फेंसिंग का निर्माण भी यूजर एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। इसके लिये सीमा का निर्धारण खनिज अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग प्रतापगढ़ के सुपरविजन में सीमांकन रिपोर्ट के अनुरूप किया जायेगा।

16/8/2023

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

RDSA MINING LLP

  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer  
16/08/2023



5. 100/ स्टांप नं. 1337 श्री Pajalini Singh - 32490

पिता/पति ..... जाति ..... उम्र .....

निवासी ..... हस्ते श्री 21/11/22

वास्ते 21/11/22 को दिया गया दिनांक 14/8/22

हस्ताक्षर क्रोला

हस्ताक्षर मुद्रांक विक्रेता  
श्याम लाल जैन  
क्र. नं.-18/2012  
तहसील गिरवा परिसर, सदयपुर

अजस्थान स्टांप अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टांप राशि पर प्रभाविता अधिभार	
1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3-क) -10% रुपये	10
2. बाढ़ और जल की वस्तु के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ड) प्राकृतिक आपदाओं एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण हेतु -20% रुपये	20
कुल योग:-	30
हस्ताक्षर स्टांप क्रोला, श्याम लाल जैन क्र. नं.-18/2012, तहसील गिरवा परिसर, सदयपुर	

तहसील गिरवा  
सदयपुर  
(क्र. नं.) 18/2012





राजस्थान RAJASTHAN

AA 621560

### शपथ पत्र

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/MIN/142600/2021 Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (plot no-02/2019) in Revenue Village- Kela mela, Tehsil- Pipalkhunt, Dist- Pratapgarh, Rajasthan के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी गांधीनगर, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र 8B/Raj003/2023-JPR दिनांक 10.07.2023 द्वारा जारी सैदान्तिक स्वीकृति की शर्तों की पालना किये जाने की सहमति स्वरूप इस कार्यालय के पत्र क्रमांक RDSA/MINES/2023-24/28 दिनांक 16.08.2023 के द्वारा प्रस्तुत किये गये पालना प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों की पुष्टि हेतु मैं विमलेश कुमार घीया पुत्र स्व. श्री कमल प्रसाद घीया उम्र 52 वर्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी RDSA MINING LLP बतौर यूजर एजेन्सी शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि :-

1. शर्त संख्या A- 1 की पालना में उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तावित क्षतिपूर्ति योजना एवं मांग अनुसार राशि 33,95,700 केम्पा मद में ई पोर्टल के माध्यम से चालान संख्या 58142600612 दिनांक 14.08.2023 जमा करा दी गई है जिसमें क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के 10 वर्षों तक संधारण की राशि सम्मिलित है। साथ ही क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर वन भूमि के सर्वे एवं सीमा निर्धारण हेतु 10 सीमा स्तम्भों के निर्माण के लिये राशि रुपये 1,01,000 उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के कार्यालय में ड्राफ्ट संख्या 058453 दिनांक 14.8.2023 के माध्यम से जमा करा दी गई है।
2. शर्त संख्या A- 2 की पालना में उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ की मांग अनुसार NPV की राशि रुपये 1,27,97,239 केम्पा मद में ई पोर्टल के माध्यम से चालान संख्या 58142600612 दिनांक 14.08.2023 द्वारा जमा करा दी गई है।
3. शर्त संख्या A- 3 की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम नामान्तरण हो चुका है एवं गैर वन भूमि का कब्जा वन विभाग को सुपुर्द किया जा चुका है। उक्त भूमि को नियमानुसार रक्षित वन घोषित किये जाने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन के सम्पूर्ण प्रस्ताव उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ द्वारा तैयार कर उच्च कार्यालय को भिजवा दिये गये है, जो मुख्य वन संरक्षक द्वारा परीक्षण के पश्चात नोडल अधिकारी एफ सी ए को अग्रेषित किये जा चुके हैं।

16/8/2023

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

RDSA MINING LLP

(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer



रु. 500/- स्टाम्प नं. 1123 श्री KDIA मदनगं 44  
पिता/पत्नि ..... जाति ..... उग्र .....  
निवासी ..... हस्ते श्री 2.10.12  
वास्ते शुद्ध को दिया गया। दिनांक 24/12/2012

हस्ताक्षर क्रेता

हस्ताक्षर मुद्रांक विक्रेता  
श्याम लाल जैन  
ला.नं.-18/2012  
तहसील गिर्वा परिसर, उदयपुर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रसारित अधिभार	
1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3-क) -10% रुपये	50
2. माय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख) / प्राकृतिक आपदाओं एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण हेतु -20% रुपये	100
कुल योग:- 150	
हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर, श्याम लाल जैन ला.नं.-18/2012, तहसील कार्यालय गिर्वा परिसर, उदयपुर	



4. शर्त संख्या A- 4 की पालना में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यदि कोई अतिरिक्त राशि का निर्धारण किया जाता है तो उसके भुगतान हेतु यूजर एजेन्सी वचनबद्ध है।
5. शर्त संख्या A- 5 की पालना में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वांछित प्रमाण पत्र जिला कलक्टर महोदय प्रतापगढ़ के पत्र क्रमांक 2792 दिनांक 28.09.2022 द्वारा जारी किया जा चुका है जिसकी प्रति मय समस्त कार्यवाही विवरणों के उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ को भी प्रेषित की गई है।
6. शर्त संख्या A- 6 की पालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि एवं खनन लीज की बाउन्ड्री का यथोचित सीमांकन यूजर एजेन्सी के व्यय पर उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशानुसार किया जाएगा।
7. शर्त संख्या A- 7 की पालना उप वन संरक्षक महोदय प्रतापगढ़ के स्तर से की जानी है।
8. शर्त संख्या A- 8 की पालना में प्रकरण में उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ द्वारा की गई मांग के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (NFL एवं DFL), NPV, सेफ्टी जोन एवं 6 फीट ऊंचाई की पक्की दिवारों के निर्माण की राशि ई पोर्टल के माध्यम से केम्पा फंड में एवं रक्षित वन घोषित होने वाली NFL के सीमा स्तम्भों हेतु मांग अनुसार राशि उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के कार्यालय में ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करा दी गई है।
9. शर्त संख्या B- 1 की पालना सुनिश्चित की जायेगी एवं यूजर एजेन्सी के स्तर पर प्रत्यावर्तित वन भूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।
10. शर्त संख्या B- 2 की पालना में वांछित 10.50 है. गैर वन भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है।
11. शर्त संख्या B- 3 की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि ग्राम सेवानगर 10.50 है. एवं ग्राम केलामेला वनखण्ड सागबारी भूतखोरा में 27.7666 है. परिभाषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग द्वारा कराया जाएगा जिस हेतु उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ की मांग अनुसार कमशः राशि रुपये 33,95,700 एवं 40,63,400 केम्पा मद में ई पोर्टल के माध्यम से चालान संख्या 58142600612 दिनांक 14.8.2023 द्वारा जमा करा दी गई है।
12. शर्त संख्या B- 4 की पालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि के 4245 वृक्षों अथवा इससे कम संख्या में आवश्यकतानुसार वृक्षों का पातन उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ की देखरेख में करवाया जाएगा तथा अंतिम स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर वृक्षों के पातन पर होने वाले व्यय की राशि यूजर एजेन्सी द्वारा वन विभाग को जमा करा दी जाएगी।
13. शर्त संख्या B- 5 की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा माईनिंग लीज की परिधि में 7.50 मीटर चौड़ाई में सेफ्टी जोन का सीमांकन सुनिश्चित कर फेनसिंग का निर्माण एवं सेफ्टी जोन का क्षेत्र माइनिंग लीज के अन्दर रखते हुए सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी। सेफ्टी जोन का क्षेत्र माइनिंग लीज के भाग के रूप में ही रखा जाएगा,
14. शर्त संख्या B- 6 की पालना में खनन गतिविधिया एवं खनन क्षेत्र के पुनरुत्थान के कार्य स्वीकृत माइनिंग प्लान एवं उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशानुसार किये जाएंगे।
15. शर्त संख्या B- 7 की पालना में यूजर एजेन्सी के स्तर पर पूर्ण सतर्कता रखी जाएगी ताकि वनों एवं समीपवर्ती क्षेत्रों पर खनन गतिविधियों से विपरित प्रभाव न पड़े इस हेतु नियमित रूप से शमन के उपाय किये जाएंगे
16. शर्त संख्या B- 8 की पालना में आवश्यकता नहीं होने पर यथासम्भव पुनरुत्थान कर प्रत्यावर्तित वन भूमि वन विभाग को पुनः लौटा दी जायेगी।
17. शर्त संख्या B- 9 की पालना में समीपवर्ती क्षेत्र की वनस्पति अथवा जीव जन्तुओं को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी।
18. शर्त संख्या B- 10 की पालना में पर्यावरण स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर पर आवेदन किया जा चुका है जो प्रगतिरत है। स्वीकृति प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जायेगी।
19. शर्त संख्या B- 11 की पालना में प्रस्ताव के ले आउट प्लान में केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
20. शर्त संख्या B- 12 की पालना में खनन के ले आउट प्लान में परिवर्तन की आवश्यकता होने पर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

16/8/2023  
**खनि अभियन्ता**  
**खान एवं भू-विज्ञान विभाग**  
**प्रतापगढ़ (राज.)**

**RDSA MINING LLP**  
  
**(V.K. GHIYA)**  
**Chief Executive Officer**



21. शर्त संख्या B- 13 की पालना में वन क्षेत्र में कोई लेबर कैंप स्थापित नहीं किया जाएगा।
22. शर्त संख्या B- 14 की पालना में श्रमिकों एवं कार्यरत स्टाफ के लिए वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था वैकल्पिक ईंधन अधिकृत स्रोत से ही कर सुनिश्चित की जाएगी।
23. शर्त संख्या B- 15 की पालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का यथोचित सीमांकन यूजर एजेन्सी के व्यय पर उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशानुसार किया जाएगा।
24. शर्त संख्या B- 16 की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा वन क्षेत्र में निर्माण सामग्री के परिवहन अथवा निर्माण कार्य हेतु कोई अतिरिक्त अथवा नये पथ निर्मित नहीं किये जाएंगे।
25. शर्त संख्या B- 17 की पालना यूजर एजेन्सी के स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।
26. शर्त संख्या B- 18 की पालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनाथ नहीं किया जाएगा।
27. शर्त संख्या B- 19 की पालना में प्रत्यावर्तित भूमि किसी भी परिस्थिति में केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना किसी एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।
28. शर्त संख्या B- 20 की पालना में समस्त शर्तों का वार्षिक पालना प्रतिवेदन प्रति वर्ष मार्च के अन्त तक राज्य सरकार, क्षेत्रीय अधिकारी महोदय जयपुर के कार्यालय एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाएगा।
29. शर्त संख्या B- 21 की पालना में प्रकरण से सम्बन्धित सभी नियमों अधिनियमों प्रावधानों, दिशा निर्देशों एवं माननीय न्यायालयों एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों (यदि कोई हो ) की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
30. शर्त संख्या B- 22 की पालना में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी शर्त अथवा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न हो।
31. शर्त संख्या B- 23 की पालना में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास हेतु जारी की जाने वाली किसी भी अन्य शर्त की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
32. शर्त संख्या B- 24 की पालना में समस्त शर्तों पूर्ण पालना रिपोर्ट ई पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी।
33. विशिष्ट शर्त संख्या 01 की पालना में प्रत्यावर्तित भूमि का उपयोग भवन निर्माण अथवा साइट विशिष्ट गतिविधि के अतिरिक्त नहीं किया जायेगा।
35. विशिष्ट शर्त संख्या 02 की पालना में खनन गतिविधियों से उत्पन्न मक का निस्तारण लीज क्षेत्र के बाहर वन भूमि अथवा चारागाह भूमि पर नहीं किया जायेगा।
36. विशिष्ट शर्त संख्या 03 की पालना में उपवन संरक्षक प्रतापगढ़ की मांग अनुसार प्रत्यावर्तित भूमि को शेष वन भूमि से पृथक करने वाली सीमा पर 6 फीट ऊंचाई की पक्की दीवार का निर्माण वन विभाग द्वारा किये जाने हेतु राशि रुपये 15,07,500 केम्पा मद में ई पोर्टल के माध्यम से चालान संख्या 58142600612 दिनांक 14.8.2023 द्वारा जमा करा दी गई है।
37. विशिष्ट शर्त संख्या 04 की पालना में उपवन संरक्षक प्रतापगढ़ की मांग अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि की सीमा पर जहा कृषि भूमि एवं आबादी क्षेत्र लगता है वहा 6 फीट ऊंचाई की पक्की दीवार का निर्माण वन विभाग द्वारा किये जाने हेतु राशि रुपये 16,75,000 केम्पा मद में ई पोर्टल के माध्यम से चालान संख्या 58142600612 दिनांक 14.8.2023 द्वारा जमा करा दी गई है।

16/8/2023

**खनि अभियन्ता**  
**खान एवं भू-विज्ञान विभाग**  
**प्रतापगढ़ (राज.)**

**RDSA MINING, LLP**

  
(V.K. GHIYA)

**Chief Executive Officer**





**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION – A-4 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.

**RDSA MINING LLP**

(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency  
Office Seal

16/8/2023  
खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.

उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)





**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION – A-6 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that the boundary of the diverted forest land, mining lease area and safety zone will be suitably demarcated by us on ground at the project cost as per the directions of DCF, Pratapgarh.


**RDSA MINING LLP**


  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

Signature of User Agency  
Office Seal

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

  
खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.  
  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)



**Forest Area : 10.4162 Hectare**

९.९  
२२  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

**Regd. Office :** Patni Sadan, Teli Mohalla, Madanganj - Kishangarh - 305801, Dist. - Ajmer (Raj.) India  
**Branch Office :** A-404, Amar Vilas Apartment, Opp. New R.T.O. Office, Udaipur - 313004 (Raj.) India





**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - B-4 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that Felling of trees will be restricted to 4245 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees will be felled under the strict supervision of the State Forest Department. After getting final approval cost to be involved in felling of trees will be deposited by us with the State Forest Department.

**RDSA MINING LLP**

(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency  
Office Seal

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

CS.

उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)





**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION – B-5 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I **Vimlesh Kumar Ghiya**, CEO, **RDSA MINING LLP**, Udaipur, Raj. hereby, undertake that we the User Agency as per direction of DCF, Pratapgarh will undertake fencing and protection of the safety zone area keeping 7.5 meter strip within the mining lease at the project cost and area of safety zone of mining lease will be kept as a part of the total area of the mining lease.

**RDSA MINING LLP**

  
(V.K. GHIYA)


Chief Executive Officer

Signature of User Agency

Office Seal

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

  
16/8/2023

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

CS.  
  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)





**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - B-6 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that we will undertake mining and reclamation of the mined out area as per the approved mining plan and the directions of DCF, Pratapgarh.

**RDSA MINING LLP**

  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency

Office Seal

16/8/2023

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.

  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)





**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION – B-7 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that we at the level of user agency will regularly monitor and take necessary mitigative measures to ensure that there is no adverse impact on the forests in the surrounding area.

**RDSA MINING LLP**

  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency  
Office Seal

16/8/2023

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.

  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)





**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION – B-8 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I **Vimlesh Kumar Ghiya**, CEO, **RDSA MINING LLP**, Udaipur, Raj. hereby, undertake that the diverted land will be reverted back to the Forest Department in case it is not needed after due restoration to its original status (as far as possible).

**RDSA MINING LLP**

(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency

Office Seal

16/8/2023  
खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)





**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - B-9 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that no damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused by User Agency.

**RDSA MINING LLP**


  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency  
Office Seal

  
खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.  
  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)





**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION – B-11 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I **Vimlesh Kumar Ghiya**, CEO, **RDSA MINING LLP**, Udaipur, Raj. hereby, undertake that layout plan of the proposal will not be changed without prior approval of Central Government.

**RDSA MINING LLP**

(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency  
Office Seal

16/8/2023  
खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)





**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION – B-12 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that the change in the layout plan of the mining lease, if required, will be done as prescribed in the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018 and Chapter-5 of Comprehensive Guideline F. No. 5-2/2017- FC dt 28/03/2019.

**RDSA MINING LLP**

(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency  
Office Seal

16/8/2023  
खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)





**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION – B-13 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I **Vimlesh Kumar Ghiya**, CEO, **RDSA MINING LLP**, Udaipur, Raj. hereby, undertake that no labour camp will be established by us on the forest land.

**RDSA MINING LLP**

(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency

Office Seal

16/8/2023  
खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)





**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION – B-14 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that we will provide preferably alternate fuels to the labourers after purchasing the same from legal source of alternate fuel.


**RDSA MINING LLP**

  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency  
Office Seal

  
16/8/2023  
खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

  
C.S.  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)



**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - B-15 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated by us on ground at the project cost, as per the directions of DCF, Pratapgarh.

**RDSA MINING LLP**


  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency  
Office Seal

C.S.

  
14/8/2023

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)





**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION – B-16 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that no additional or new path will be constructed by us inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

**RDSA MINING LLP**

  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer


Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency  
Office Seal

C.S.

  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

  
16/8/2023

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

(The LLP is Registered with Limited Liability)



**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION – B-17 OF IN - PRINCIPLE APPROVAL

I Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, **RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that the period of diversion of the said forest land will be co- terminus with the period of the mining lease granted under the Mines and Minerals (Development & Regulating) Act, 1957 or Rules framed thereunder.

**RDSA MINING LLP**

  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

  
खनि अभिवृद्धि  
खान एवं स-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

Signature of User Agency  
Office Seal

e.s  
22  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)





**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION – B-18 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that the forest land will not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

**RDSA MINING LLP**


  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer


Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency  
Office Seal

C.S.

  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

  
16/8/2023

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

(The LLP is Registered with Limited Liability)



**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION – B-19 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I **Vimlesh Kumar Ghiya**, CEO, **RDSA MINING LLP**, Udaipur, Raj. hereby, undertake that the forest land proposed to be diverted will not be transferred by us to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government.

**RDSA MINING LLP**

  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency  
Office Seal

16/8/2023

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.

  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)





**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION – B-20 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that the User Agency will ensure to submit the annual self -compliance report in respect of the stated conditions to the State Government, Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year regularly.


**RDSA MINING LLP**

  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency  
Office Seal

  
खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.  
  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)



**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION – B-21 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that the user agency will ensure to comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT. Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.

**RDSA MINING LLP**

  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency  
Office Seal

16/8/2023

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.

  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)





**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION – B-22 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that no violation of any of these conditions will be ensured at the level of User Agency.

**RDSA MINING LLP**

  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency  
Office Seal

  
16/8/2023

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.

  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)



**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF CONDITION - B-23 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj. hereby, undertake that any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife will be complied by user agency.

**RDSA MINING LLP**

  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency  
Office Seal

16/8/2023

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.

  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)





**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village - Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District - Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF SPECIFIC CONDITION - 1 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I **Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj.** hereby, undertake that we will not use the diverted land for construction of buildings and other non-site specific activities.

**RDSA MINING LLP**

  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency  
Office Seal

  
16/8/2023

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.

  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)



**Full Title of the Project:** "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019) in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunt, District – Pratapgarh, Rajasthan".

**Proposal No. :** FP/RJ/MIN/142600/2021

**Date of Proposal:** 29/06/2021

**Forest Area :** 10.4162 Hectare

**UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF SPECIFIC CONDITION - 2 OF IN PRINCIPLE APPROVAL**

I Vimlesh Kumar Ghiya, CEO, RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj. hereby, undertake that muck generated from the mining activities will not be disposed by us on forest/charagah land outside the proposed diversion area.


**RDSA MINING LLP**

  
(V.K. GHIYA)  
Chief Executive Officer

Place : Udaipur

Date : 16/08/2023

Signature of User Agency  
Office Seal

  
16/8/2023

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.

  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़

(The LLP is Registered with Limited Liability)



Government of Rajasthan  
**Office of the District Collector Pratapgarh**

E-mail :- [dm-pra-rj@nic.in](mailto:dm-pra-rj@nic.in)

Phone :- 01478-222266

No :- REV/FRA-2006/2793

Dated 28-08-2022

✓ To,

Deputy Conservator of Forest  
Pratapgarh

**Subject :-** Regarding to RDSA Mining LLP For Opencast Marble Mining In Plot No 01/2019 and 02/2019 in Pratapgarh district in the state of Rajasthan regarding 02 NOC under Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest right) Act, 2006

Dear Sir,

Kindly refer Ministry of Environment & Forest (MoEF) government of India, New Delhi Circular No. F. No.11-9/98-FC(pt.) dated 5<sup>th</sup> july 2013 in above subject.

NOC under Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest right) Act, 2006 in form -II Prescribed by MoEF is enclosed here with for necessary action.

Enclose. as above.



  
(Sourabh Swami)  
District Collector,  
Pratapgarh

Copy To :- Please Submit all necessary document record and original record copy

1. CEO RDSA Mining LLP Patni Sadan Teli Mohlla Madanganj-Kishangarh District Ajmer Raj

FORM-II

(For projects other than linear projects and plantations)

(Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date)

Government of Rajasthan  
Office of the District Collector Pratapgarh

Ref.No. 2792

Dated 28.09.2022


TO WHOM SO EVER IT, MAY CONCERN

Incompliance of the Rule 6(3)(e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that **10.4162** hectares of forest land proposed to be diverted in favors of RDSA Mining LLP for Marble Mining in the district falls within the jurisdiction of Pratapgarh village (s) Kelamela Gram Panchayat Kelamela in Peepalkhant Tehsils. It is further certified that:

- (c) The complete process of recognition and vesting of forest rights under the FRA, 2006 has been Carried out for the entire **10.4162** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as attachment **1.. to .6** attachment .....
- (d) The proposal for such diversion (with full details of the project and it implications, vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha or forest-dwellers, who are eligible under the FRA, 2006;
- (c) Each of the concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. Copies of certificate issued by the Gram Sabha (s) of **Kelamela** Gram Panchayat Kelamela villages(s) are enclosed as attachment.....**01**.....to attachment....**06**.....;
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a Quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabhas present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where Applicable have been specifically safeguarded as per Section 3 (I) of the FRA, 2006.

Encl.: As above.



  
(Sourabh Swami)  
District Collector  
Pratapgarh



કેળામેલી

बैंच

ਅੰਮ੍ਰਿਤ (A T O L)

[illegible]

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ

बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर

आज दिनांक 17.05.2022 को श्रीमान. मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय के पत्रांक 20 दिनांक 12.04.2022, 529 दिनांक 25.01.2022 एवं 643 दिनांक 10.11.2022 व वृद्ध कार्यालय के पत्रांक 93 दिनांक 22.04.22 व पंचायत केलापेला समिति पीपलबुई के आदेश क्रमांक 142 दिनांक 29.04.2022 के अनुपालन में ग्राम पंचायत केलापेला के आदेश क्रमांक 58 दिनांक 09.05.2022 की पालना में राजपथ चौक केलापेला के प्लॉट नं. 02/2019 में अनेकल 10.4.62 ईस्तेमाल दिनांक वन भूमि में खेती बिना जाने हेतु पैदा अधिनियम के तहत ग्राम निवा आश्रयन चौक के प्लॉट नम्बर 02/2019 जिला गौतम बुद्ध के दिनांक 17.05.2022 को निम्न कार्यवाही लिखी गई।

6  
सरपंच  
ग्राम पंचायत केलापेला  
पं.स. पीपलबुई नि. प्रतापगढ़ (राज.)  
डा. (डा.)  
870  
स. वनपाल  
शक्ति बाल  
कन्वेन्स  
ही भक्त/ गौतम

श्रीमान. सरपंच परमेश्वर निवासी की अध्यक्षता में बिना गमाये जिले में सभी ग्रामवासीओं की भावनाओं के ध्यान के द्वारा पूर्व में चले रहा माइकिंग के बारे में विचार विमर्श बिना गया। ग्राम सभा में उपस्थित लोगों द्वारा एकदम कमाली को प्रमाण पत्र देने के पूर्व निम्न मांगें रखी गई।

मु. श्रीमान  
नाक  
मुकेश

प्रस्ताव संख्या 01 राजपथ गौव केलापेला कोरापड़ा मजदूर होत हुए डाकड़ जंगल होत हुए राजपथ गौव गल्ला मोदी नदी तट डामरी कटा बिना जावे।

अनिल  
अनिल

(2) इन्फ्रान्सीस गौव केलापेला के निवासीओं को उनकी शेड्यूलिक योग्यता अनुपात राफेगांल दिनांक जावे।

ही रती



बैठक होने  
की दिनाङ्क

बैठक का स्थान

अध्यक्ष/सरपंच के नाम

उपस्थित सदस्यों के नाम

1

2

3

4

20/5/21

~~06.02.01~~

312 nm

2/0/20

सुरपंच

सरपंच  
ग्राम पंचायत केनामेल  
च. त. पी. का. जू. नि. प्रतापगढ़ (राज.)

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
माइन्स के 10-4162 हेक्टेयर जमीन के अलावा दूसरी कोई जमीन नहीं ली जावे	6
माइन्स का वेल्ड माइन्स में ही डाला जायेगा न की बाहर कहीं और डम्प किया जायेगा।	<del>चमरलाल</del>
गाँव केलापेला में मोडल इंगलिश माध्यम विद्यालय खोला जावे।	हक्काडे जिवा
आ गाँव केलापेला में <del>जमीन</del> माता का मंदिर बनाया जावे।	बाबूलाल
गाँव केलापेला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जावे।	काका जीवा
जो मजदूर माइन्स में काम करते समय उनका जीविडेन्स कण्ड में अनुदान कंपनी द्वारा बना दिया जावे।	मुसाफ
जिली नेजदुल की माइन्स में काम करते समय जिली उकाल का अनुदान होता है तो उसकी करवाइ कंपनी के माध्यम से होगी।	गीशहारी
माइन्स की वाउन्टरी में जिन जमीनों का मकान व जमीन आता हो तो जिनका पूर्ण रूप से मुआवजा दिया जावे।	मारता जीवा
माइन्स के खनन कार्य से जो जिला खनिज काउन्सिल में जो राशि जायेगी उस राशि का उपयोग गाँव केलापेला के विकास में दिया जावे।	दीनचंद सरपंच ग्राम पंचायत कल प्रतापगढ़



बैठक में की गई कार्यवाहियाँ

बैठक में उपस्थित  
सदस्यों के हस्ताक्षर

6

- 12) आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोला जावे।
- 13) पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिये निषिद्ध  
उपाय लिखे जावे।
- 14) गाँव केलासेला में एक आवासीय विद्यालय  
खोला जावे।
- 15) गाँव केलासेला में निहित शाफरीय डाक्टरों/चिकित्सकों  
केन्द्र को क्रमोन्मुख बट सामुदायिक स्वास्थ्य  
केन्द्र बना जावे।
- 16) खनन कार्य से पानी का स्तर नीचे चला  
जाता है तो पैम जल व लोगों में पानी की कमी  
से आने वाली समस्याओं के लिए कम्पनी की  
जिम्मेवारी होगी।
- उपरोक्त सभी माँगें (जोयज) RDSA  
माइनिंग कम्पनी द्वारा माने जाने पर अनुपालन  
उमाठा पत्र दिये जाने के प्रस्ताव का उपाध्यक्ष  
सभी सदस्यों द्वारा अपनी मत से प्रस्ताव का  
अनुमोदन किया जाता है।
- आज दिनांक 17.05.2022 को कम्पनी ने (RDSA  
MINING LLP) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की  
द्वारा माँग स्वीकार कर ली गई है। और  
लिखित में कम्पनी के मोटर लगेकर दे  
दी गई है।

श्री प्रदी

दिनेश

लक्ष्मण

बाबूबाबू

रंजनी

शरणी

पूजा

17

सचिव

ग्राम पंचायत केलासेला  
पं.स. प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ (राज.)

सचिव

ग्राम पंचायत केलासेला  
पं.स. प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ (राज.)

कार्यवाही विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
प्रस्ताव संख्या 01 सर्वप्रथम ग्राम सभा में प्रस्ताव पढ़ कर सुनाया गया।	6
<p>ग्राम सभा में श्रीमान विष्णु अधिकारी (होयस प.न. पीपलखूँट के पत्र क्रमांक 142) के द्वारा वन आरक्षित क्षेत्र 5 निकट कैलामेला गाँव कैलामेला में मैशन, राट डी एस ए मीडिनिंग एल एल पी, पारनी रदन तेली मोहल्ला, मदनगोण - डिशनगढ़ जिला राजमेल के पत्र में मेश। पत्र जारी किया गया। जिल्ला वन भूमि का कुल क्षेत्र 10.4/62 हेक्टेयर पर खनिज मार्बल के खनन (गैर-तानिकी) हेतु प्रस्ताव पत्र पर चर्चा की गई। इससे ग्राम कैलामेला तहसील पीपलखूँट जिला प्रतापगढ़ के राजस्व ग्राम कैलामेला के वन भूमि खानरा संख्या 1970 व 1988 में आने वाले कुल क्षेत्रफल 10.4/62 हेक्टेयर वन भूमि खनन खण्ड में खनिज मार्बल के खनन (गैर-तानिकी) हेतु एलॉट संख्या 02/2019 के सम्बन्ध में ग्राम सभा में सुझाव-चर्चा कर गोष्ठित क्षेत्र को खनन कार्य हेतु दिये जाने पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई। यह कि राजस्वान पंचायतीराज (उपबन्ध-1) अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लाभ होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम 1999 के तहत राजस्वान अध्याय खनिज विधायक नियम 2017 के नियम 11(3) (iii) कि - अनुपालना में मैशन, आर.डी. एल ए मीडिनिंग एल एल पी पारनी रदन तेली मोहल्ला, मदनगोण - डिशनगढ़ जिला राजमेल के ग्राम</p>	<p>वर्केश</p> <p>गुणगुला</p>
<p>सर्वप्रथम</p> <p>ग्राम पंचायत कैलामेला</p> <p>पं.स.पीपलखूँट नि.प्रतापगढ़/राज.</p>	<p>सर्वप्रथम</p>



बैठक में की गई कार्यवाहियाँ

बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर

6

रायल केलामेल 5 राजल्व ग्राम केलामेल  
लॉट संख्या - 02/2019 में क्षेत्रफल 10.4162-  
एयर किन्म वन भूमि में खनन किये जाने  
जारी किये गये मेश। पत्र एवं प्रस्ताव ग्राम  
में पहुँच चुनाया गया एवं खनन कार्य  
अनापत्ति उमाठा पत्र जारी करने हेतु  
निम्नलिखित से सहमति व्यक्त की गई।  
उक्त परियोजना स्वार्थ प्रकृति की  
के कारण स्थानीय नागरिकों को शोषण  
लक्ष्य होगा। जिससे उनके जीवन स्तर  
सुधारा होगा व ग्राम पंचायत को इन  
परियोजना के चलने से आय होगी।

यह ग्राम सभा राजल्व ग्राम पंचायतीराज  
उपवन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू  
होने के संबंध में उपान्तरण अधिनियम  
1999 के नियम 3 (1) के तहत विधिवत रूप  
आयोजित की गई तथा सारी प्रक्रिया  
के नियमों की पूर्ण पालना की गई।

उक्त ग्राम सभा 50 प्रतिशत से अधिक  
ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति में खनन  
परियोजना प्रस्ताव पर सुली चर्चा कर उक्त  
खनन परियोजना के प्रस्ताव को पारित  
किया गया। अनापत्ति उमाठा पत्र निम्नलिखित  
प्रकार है।

अनापत्ति उमाठा पत्र

यह अनापत्ति उमाठा पत्र राजल्व ग्राम  
पंचायतीराज (उपवन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों  
में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण)  
अधिनियम 1999 के तहत राजल्व उपग्राम

सं. 1/2022  
सरपंच  
ग्राम पंचायत केलामेल  
पं.स.वी.पलखुंट नि.प्रतापगढ़ (राज.)

सं. 1/2022  
सरपंच  
ग्राम पंचायत केलामेल  
पं.स.वी.पलखुंट नि.प्रतापगढ़ (राज.)

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ

बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर

6

ज रियायत निभम<sup>5</sup> 2017 के संश्लेष में -  
 नारायण के निभम 11 (उ) (1) के अनुपालन  
 मैलर आरडी एन ए माडिंग एल एल  
 पाटनी सदन लेली मोहल्ला मदनगौज -  
 गनवाड़ जिला अजमेर को ग्राम पंचायत  
 मेला के राजान् ग्राम केलामेला के लार  
 या- 02/2019 में प्रैमफल 10.4162 हेक्टर  
 वन भूमि से खनन किये जाने हेतु  
 रो किया गया है।

खान विभाग द्वारा मैलर. आरडी  
 ए माडिंग एल एल पी पाटनी सदन  
 मोहल्ला मदनगौज - विश्वानवाड़ जिला  
 नमेर को खनन पट्टा स्वीकृत किया जाता  
 है ग्राम पंचायत केलामेला को किसी  
 नद की आपात मंदी होगी।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र राजान् ग्राम  
 रायलीराज (उपवन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों  
 उनके लागू होने के संश्लेष में उपान्तरण)  
 अधिनियम 1999 के नियम 3 (1) के तहत ग्राम  
 का विधिवत आयोजन करने पश्चात  
 चा सारी प्रक्रिया पूरी करनी के बाद जारी  
 किया गया है।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने  
 मय राजान् ग्राम पंचायत राज (उपवन्धों  
 अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के  
 संश्लेष में उपान्तरण) अधिनियम 1999 के  
 सभी नियमों का पालन किया गया है।

**सरपंच**  
 ग्राम पंचायत केलामेला  
 पंच. पीपलखट वि. प्रतापगढ़ (राज.)

**सरपंच**  
 ग्राम पंचायत केलामेला  
 पंच. पीपलखट वि. प्रतापगढ़ (राज.)



बैठक में की गई कार्यवाहियाँ

बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर

6

प्रतापगढ़ संख्या 02 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतापगढ़ राजस्थान के आदेश क्रमांक 2142-44 दिनांक 16-05-2022 एवं श्रीमान विकास अधिकारी महोदय पंचायत समिति पीपलखैर जिला प्रतापगढ़, राजस्थान के आदेश क्रमांक 142 दिनांक 29.04.2022 के अनुपालन में श्रीमान परमेश्वर निनामा पुत्र नारायण लाल निनामा सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला की अध्यक्षता और मुख्य अतिथि श्री ओम-प्रकाश आलिया की उपस्थिति में विशेष ग्राम सभा बैठक का आयोजन रखा गया। कौम प्रुर्ण रहा।

### कार्यवाही विवरण

सर्व प्रथम ग्राम सभा में प्रताप पट्ट कर मुनाया गया।

ग्राम सभा में जिला कलेक्टर महोदय के पत्र क्रमांक 2142-44 दिनांक 16-05-2022 और श्रीमान विकास अधिकारी महोदय प.ज. पीपलखैर के पत्र क्रमांक 142 दिनांक 29.04.2022 द्वारा वन और जित क्षेत्र के निकट केलामेला गाँव केलामेला में मैसर्स आर डी एस ए मर्चनिंग एल एल पी, पारनी सदन, लेली मोहल्ला, मदनगंज - किशनगढ़ जिला अजमेर के पत्र में मेशा पत्र जारी किया गया है जिससे वन भूमि का कुल क्षेत्र 10.4162 हेक्टर पर खनिज मार्बल के खनन (गैर वानिकी) हेतु प्रताप पत्र पर चर्चा की गई। जिसमें ग्राम केलामेला तहसील पीपलखैर जिला प्रतापगढ़ के जो राजस्थान में ग्राम

ग्राम पंचायत केलामेला

सरपंच  
ग्राम पंचायत केलामेला  
प.स.पीपलखैर जिला प्रतापगढ़ (राज.)

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ

बैठक में उपस्थित  
सदस्यों के हस्ताक्षर



6

ग्रामों के वन भूमि खसरा संख्या 1970 व  
88 में आने वाले कुल क्षेत्रफल 10.4162  
हेक्टर वन भूमि वन खण्ड में खनिज भावित  
खमन (गैर वाणिज्य) हेतु एलोट संख्या  
12019 के सम्बन्ध में ग्राम सभा में सुली  
चि कट वांछित क्षेत्र को खनन कार्य हेतु  
जाने पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त  
की गई।

अनारक्षण का सम्पूर्ण प्रस्ताव ग्राम  
में पढ़कर सुनाया गया। जिस पर उत्सा  
हन प्रोत्साहन के रूप में स्वीकृति देने  
सुझा कि विषय परिशिष्ट में जीवन संपन्न  
रहे स्थानीय निवासियों/नागरिकों के  
ये आय के नये स्वीकृत होंगे। उक्त खनन  
जगह को स्थानीय भाषा में पढ़कर ग्राम  
सभा में उपस्थित सभी आमजन को सुनाया  
गया। जिस पर वन क्षेत्र पर आश्रित -  
सम्बन्धित वनवासियों द्वारा सहमति व्यक्त  
की गई। उक्त परिशिष्ट, रखाई प्रकृति सीट  
1. सहा के स्थानीय निवासियों/नागरिकों  
सौजसा उपलब्ध होगा। जिससे इनके  
जन संपन्न स्तर में सुधार होगा व ग्राम  
सभा को वन परिशिष्ट के चलने से बचने  
में होगी। अतः वन क्षेत्र प्रत्यावर्तन  
में सहमति हेतु सभी सदस्यों की सहमती  
की गई है।

उक्त ग्राम सभा द्वारा प्रतीकित  
अधिक ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति  
खनन परिशिष्ट प्रस्ताव सर्वसम्मति से  
सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत के नाम से  
ग्राम पंचायत के नाम से



<p>बैठक में की गई कार्यवाहियाँ</p>	<p>बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर</p>
<p>कता खनन परियोजना<sup>5</sup> के उद्भाव को पारित किया गया।</p> <p>वन अधिकार अधिनियमों की अनुपालना सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि उम्मा वन क्षेत्र की सीमा में आने वाले भाग के लिए उपवर्ति हेतु प्रस्तावित है, जिनमें अनुसूचित वन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपवर्ति एवं अधिकारों के व्यवसाय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।</p> <p>वन अधिकार अधिनियमों की अनुपालना के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता कि उम्मा वन क्षेत्र गाम सभा व राजस्व रेकार्ड एवं गाम पंचायत में उपलब्ध रिकार्ड प्रकृति जांच कर ली है, जिसके आधार पर सभा खेतों में किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित वन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रकृति अवका अनिवार्य नहीं है।</p> <p>उम्मा वन भूमि खनन परियोजना हेतु प्रयोग में लिया जाता है तो गाम वारियों व गाम सभा को कोई आपत्ति नहीं होगी। यह निर्णय वन आरम्भित क्षेत्र के निष्कर्ष वारिमेला गौव वेलामेला की वन भूमि कुल 10.4162 हेक्टेयर गाम पंचायत वारिमेला हेतु सर्व आम वन को सूचित प्रकृति गयी गाम सभा की बैठक में किया गया और सभी के द्वारा हस्ताक्षर</p>	<p>6</p> <p> सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला पंचायत क्षेत्र नि. प्रतापगढ़ (राज.)</p> <p> सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला (महाराष्ट्र)</p>

L

 $\gamma_0 \Delta t = 7; \gamma_1 \Delta t = 6; \dots$



# कार्यालय, ग्राम पंचायत, केलामेला

पं. स. पीपलखूंट, जिला-प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक/प्रा.पं.के./2022-23/58

दिनांक 24 - 05 - 2022

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान पंचायत राज (उपबंधो का अनुचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण) अधिनियम 1999 के तहत राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 11(1) (iii) की अनुपालना में मेसर्स आर डी एस ए माईनिंग एल एल पी, पाटनी सदन, तेली मोहल्ला मदनगंज -किशनगढ़ जिला अजमेर को ग्राम पंचायत केलामेला के राजस्व ग्राम केलामेला के प्लॉट संख्या -02/2019 में क्षेत्रफल 10.4162 हेक्टेर किस्म वन भूमि में खनन किये जाने हेतु जारी किया गया है।

खान विभाग द्वारा मेसर्स आर डी एस ए माईनिंग एल एल पी, पाटनी सदन, तेली मोहल्ला मदनगंज -किशनगढ़ जिला अजमेर को खनन पट्टा स्वीकृत किया जाता है तो ग्राम पंचायत केलामेला को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान पंचायती राज (उपबंधो का अनुचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण) अधिनियम 1999 के नियम 3 (1) के तहत ग्राम सभा दिनांक 17/05/2022 प्रस्ताव संख्या 2- के तहत जारी किया जा रहा है।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय राजस्थान पंचायत राज (उपबंधो का अनुचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण) अधिनियम 1999 के सभी नियमों का पालन किया गया है।

सधन्यवाद  
प्रमुख  
सरपंच  
ग्राम पंचायत केलामेला  
पं.स.पीपलखूंट जिला-प्रतापगढ़(राज.)

प्रमाणित  
ओ.जी.  
विकल्प  
पंचायत सचिव पीपलखूंट  
जिला-प्रतापगढ़(राज.)

(वीर सिंह निनामा)  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत  
पं.स.पीपलखूंट, जिला-प्रतापगढ़(राज.)

# कार्यालय, ग्राम पंचायत, केलामेला

पं. स. पीपलखूंट, जिला-प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक/ग्रा.पं.के./ ७७

दिनांक ०५-०६-२०२२


## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

दिनांक १७.०५.२०२२ को ग्राम पंचायत केलामेला, तहसील पीपलखूंट, जिला-प्रतापगढ़ ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में RDSA MINING LLP पाटनी सदन तेली मोहल्ला मदनगंज-किशनगढ़, जिला अजमेर के पक्ष में वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर विचार किया गया।

RDSA MINING LLP के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक १२.०५.२०२१ को LOI जारी कर दी गयी है। कुल १०.४१६२ हैक्टेयर वन भूमि के खसरा संख्या -१९७०, १९८८ पर वनाधिकार अधिनियम २००६ के नियम २००८ की धारा ३ (१) तथा धारा ३ (२) के तहत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावे लम्बित या प्रक्रियाधीन/विचाराधीन नहीं हैं।

ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति को ग्राम पंचायत क्षेत्र की प्रस्तावित वन भूमि में खनन पट्टे को स्वीकृत किये जाने से कोई आपत्ति नहीं है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा निर्णय लिया गया, कि वन भूमि का खनन परियोजना हेतु उपयोग किया जाता है, तो ग्रामवासियों एवं ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है।

  
सरपंच  
ग्राम पंचायत केलामेला  
पं.स. पीपलखूंट, जि. प्रतापगढ़ (राज.)

  
(वीर सिंह निनामी)  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत केलामेला  
पं.स. पीपलखूंट, जि. प्रतापगढ़ (राज.)



(A)

पारिष्ट-4

(A+B)

राजस्थान-सरकार

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पीपलखूट जिला प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक:-राजस्व/2022/387-  
प्रेषिति,

दिनांक:- 5.08.2022

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,  
प्रतापगढ़ (राज.)

विषय:- ग्राम केला मेला एवं दांता पं.स. पीपलखूट अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमियों पर मार्बल खनन स्वीकृति मंशा पत्र अनुसार वन भूमियों के उपयोग-उपभोग हेतु प्रत्यावर्तन/विपथन के संबंध में।

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक राजस्व/FRA-2006/विपथन/2022-23/2142-44 दिनांक 16.05.2022

महोदयजी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि दिनांक 27.07.2022 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक-2142-44 दिनांक 16.05.2022 संदर्भ बाबत-ग्राम केलामेला एवं दांता ग्राम ग्रा.पं. बोरी पी पं.स.पीपलखूट के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमियों पर मार्बल खनन स्वीकृति मंशा पत्र अनुसार वन भूमियों के उपयोग/उपभोग हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 319 दिनांक 25.07.2022 की अनुपालना में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक का आयोजन उपखण्ड अधिकारी पीपलखूट की अध्यक्षता में उपस्थित सदस्यों के साथ किया गया। तत्पश्चात बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही की गई-

- राज्य सरकार द्वारा पं.स. क्षेत्र पीपलखूट के अन्तर्गत RDSA MINING LLP के पक्ष में जारी मंशा पत्र अनुसार राजस्व ग्राम केला मेला ग्रा.पं. केलामेला में 10.4162 हैक्टेयर वास्ते खनिज मार्बल हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन/विपथन हेतु पाया गया कि उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर पूर्व में वनाधिकार अधिनियम 2006, के तहत किसी को भी अधिकार पत्र (पट्टा) जारी नहीं किया गया है एवं साथ ही उक्त प्रस्तावित वन भूमि में वर्तमान में वन भूमि पर इसके चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लम्बित अथवा अनिर्णित नहीं है। साथ ही सम्पूर्ण आवेदित वन क्षेत्र 10.4162 हैक्टेयर में किसी का रहवास नहीं है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि, पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है। शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, की धारा 3 (2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभा की इसमें सहमति है। उक्त वन भूमि में आने वाले खसरा नं., खसरों का कुल क्षेत्रफल, मंशा पत्र में पड़ने वाला क्षेत्रफल निम्नानुसार है-

क्र.सं.	खसरा नंबर	भूमि की किस्म	खसरे का कुल रकबा (है.)	LOI क्षेत्र में आने वाला कुल रकबा (है.)
1	1970	वन भूमि	15.50	8.0090
2	1988	वन भूमि	14.75	2.4072
	कुल क्षेत्रफल		30.25	10.4162

- राज्य सरकार द्वारा पं.स. क्षेत्र पीपलखूट के अन्तर्गत RDSA MINING LLP के पक्ष में जारी मंशा पत्र दिनांक 12.05.2021 के अनुसार राजस्व ग्राम दांता पं.स. बोरी पी में 74.2490 है. वास्ते खनिज मार्बल हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन/विपथन हेतु पाया गया कि उक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन/विपथन हेतु पाया गया कि उक्त वन भूमि में वनाधिकार अधिनियम 2006, के तहत पूर्व में चार वनाधिकार पत्र (पट्टा) जारी किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल(है.)
1	नारायण/दिठली हकरू	416	0.22
		420	0.22
		योग	0.44
2	रंगजी/शारदा हकरू	413	0.71
		414	0.20
		415	0.22
		योग	1.13
3	धीरजमल/काली मंगला	424	0.53

Ho

सत्य प्रतिलिपि  
प्रभारी अधिकारी कोषिग

4	सुरेश/चम्पा हकरू	421	0.60
	कुल योग		2.70

उक्त चारों वनाधिकार पत्र धारकों (पट्टा धारकों) द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में खनन गतिविधियों हेतु खसरे से यथायोग्य मुआवजा/प्रतिकर राशि फर्म RDSA MINING LLP से प्राप्त कर अपने-अपने अधिकार पत्र (पट्टा) उक्त फर्म के पक्ष में समर्पित कर दिये हैं। समर्पण की पुष्टि में अधिकार पत्रों एवं वनाधिकार समर्पण पत्रों की छाया प्रतियां संलग्न की गई हैं। उक्त प्रस्तावित वन भूमि में वर्तमान में वन भूमि पर इसके चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, के अन्तर्गत लम्बित अथवा अनिर्णित नहीं है। साथ ही सम्पूर्ण आवेदित वन क्षेत्र 74.2490 है। में किसी का रहवास नहीं है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, की धारा 3 (1) (e) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है।

शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, की धारा 3 (2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभा की इसमें सहमति है।

उपरोक्त वर्णित चारों वनाधिकारों (पट्टा धारकों) के अतिरिक्त उक्त प्रस्तावित वन भूमि 74.2490 है। पर अन्य कोई वनाधिकार पत्र (पट्टा) जारी नहीं किया गया है न ही कोई आवेदन लम्बित तथा अनिर्णित है उक्त वन भूमि में आने वाले खसरा नं., खसरों का कुल क्षेत्रफल, मंशा पत्र में पड़ने वाला क्षेत्रफल निम्नानुसार है—

क्र.सं.	खसरा नंबर	भूमि की किस्म	खसरे का कुल रकबा (है.)	LOI क्षेत्र में आने वाला कुल रकबा (है.)
1	270	वन भूमि	1.3100	0.9800
2	271	वन भूमि	0.0900	0.0450
3	347	वन भूमि	0.5000	0.3312
4	587/357	वन भूमि	0.9600	0.9600
5	588/361	वन भूमि	0.2500	0.2500
6	589/381	वन भूमि	0.3300	0.3300
7	402	वन भूमि	0.6800	0.6800
8	412	वन भूमि	2.2300	2.2300
9	413	वन भूमि	0.7100	0.7100
10	414	वन भूमि	0.2000	0.2000
11	415	वन भूमि	0.2200	0.2200
12	416	वन भूमि	0.2200	0.2200
13	420	वन भूमि	0.2200	0.2200
14	421	वन भूमि	0.6000	0.6000
15	424	वन भूमि	0.5300	0.5300
16	362	वन भूमि	5.9500	5.9500
17	376	वन भूमि	25.7500	0.1114
18	363	वन भूमि	0.9500	0.9500
19	364	वन भूमि	9.2500	3.1861
20	613/362	वन भूमि	23.0000	20.4994
21	614/364	वन भूमि	6.5000	6.5000
22	615/376	वन भूमि	33.0000	25.5459
कुल	22		113.4500	74.2490

अतः आवेदक संस्था RDSA MINING LLP के पक्ष में जिला स्तरीय नोन लिनियर प्रमाण पत्र जारी करने के अनुमोदन हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

सत्य प्रातालाप  
प्रभारी अधिकारी कोपिंग  
कलेक्ट्रेट प्रतापगढ़ (राज)

उपखण्ड अधिकारी  
पीपलखूट (राज.)





परिशिष्ट-5

(A TO E)

राजस्थान-सरकार

## कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ (राज.)

E-mail :- dm-pra-rj@nic.in

Fax No. 01478-222262

क्रमांक : राजस्व/FRA-2006/DLC/2022/2533

दिनांक :- 17.08.2022

## जिला स्तरीय वनाधिकार समिति बैठक कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 नियम 2008-2012 के अन्तर्गत दिनांक 16.08.2022 को जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान निम्नांकितानुसार अधिकारी पदाधिकारी मनोनित सदस्यगण उपस्थित रहें।

क्र.सं.	नाम अधिकारी/सदस्य	पद	विभाग	पदनाम
01	श्री सौरभ स्वामी	जिला कलक्टर	राजस्व/प्रशासन	अध्यक्ष
02	श्री सुनील कुमार	उप वन संरक्षक	वन विभाग	सदस्य
03	श्री जितेन्द्र मीणा	उपायुक्त	TAD	सदस्य सचिव
04	श्री पिकेंश पटवा	जिला परिषद सदस्य	पंचायतीराज	मनोनीत सदस्य
05	श्रीमती अनिता मीणा	जिला परिषद सदस्य	पंचायतीराज	मनोनीत सदस्य
06	श्रीमती चम्पा देवी	जिला परिषद सदस्य	पंचायतीराज	मनोनीत सदस्य

बैठक के दौरान कार्यालय से जारी सूचना पत्र क्रमांक :- राजस्व/FRA-2006/2022/2508-21 दिनांक 08.08.2022 में विहित निम्नांकित अनुसार एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

1. वनाधिकार के तहत अस्वीकृत फाईलों की KML के संबंध में :- इस संबंध में उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में ऑफ लाईन प्रक्रिया से प्राप्त कुल 15735 व्यक्तिगत दावों में से 8749 स्वीकृत दावों के उपरान्त अस्वीकृत श्रेणी के 6986 वनाधिकार दावों में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के पास उपलब्ध रिकार्ड अनुसार KML योग्य 1322 अस्वीकृत दावों की KML File तैयार कर FSI को प्रेषित की जा चुकी है तथा 3107 अस्वीकृत दावों में आवेदित भूमि का उल्लेख नहीं पाये जाने से KML योग्य नहीं है तथा शेष 2557 अस्वीकृत वनाधिकार पत्रावलीयों के ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों स्तर से वर्ष 2009-10 के दौरान रिकार्ड संधारण के अभाव से उक्त पत्रावलीयों का संख्यात्मक आंकड़ा मात्र जिला स्तरीय समिति के पास है।

किन्तु निरस्त/अस्वीकृत पत्रावलीयां रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त निरस्त दावों की KML कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है इस संबंध में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की विगत बैठक दिनांक 28.04.2022 के दौरान भी माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित विडियो क्रांफेसिंग तथा अन्य बैठकों के दौरान आयुक्त महोदय TAD द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार उक्त 2557 मिसिंग दावों का वर्तमान संचालित अभियान में पुनः आवेदन किये जा चुके होंगे जिनका निस्तारण भी हो चुका होगा ऐसी स्थिति में उक्त 2557 पूर्व के दावों की संख्या अस्वीकृत 6986 दावों में से कम कर दिये जाने हेतु भी निर्णय लिया गया था किन्तु आदिनांक तक उक्त दावाकृत संख्यात्मक आंकड़ा TAD विभाग के रिकार्ड पर यथावत् होने से बार बार 2557 दावों के KML की मांग की जा रही है।

इस संबंध में विगत बैठक दिनांक 28.04.2022 को लिए गए निर्णय अनुसार पुनः प्रमुख शासन सचिव महोदय TAD एवं आयुक्त महोदय TAD उदयपुर को अवगत कराये जाने बाबत लिखा जाने का निर्णय भी बैठक के दौरान लिया गया।

प्रतिलिपि  
जिला कलक्टर  
प्रतापगढ़ (राज.)

616

जिला कलक्टर  
प्रतापगढ़ (राज.)

2. वनाधिकार अभियान प्रगति समीक्षा :- बैठक के दौरान जिले में ऑन लाईन प्रक्रिया से वर्तमान तक प्राप्त कुल व्यक्तिगत दावों 16320 में से 14071 दावे अस्वीकृत किये जा चुके हैं एवं 799 दावों के जिला स्तरीय समिति स्तर से सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है तथा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति अरनोद से वर्तमान में प्राप्त 83 दावों में से 80 दावों के स्वीकृत योग्य पाये जाने तथा 03 दावे निरस्त योग्य पाये गए हैं जिनका यथाशीघ्र सत्यापन किया जाना अपेक्षित बताया गया। इस प्रकार DLC स्तर पर वर्तमान तक 882 दावे स्वीकृत हेतु प्राप्त हुए हैं तथा अवशेष 1185 दावें ग्राम स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों के समक्ष विचाराधीन हैं जिनके यथाशीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गए। इसी प्रकार अभियान अवधि के दौरान सामुदायिक अधिकार से संबंधित प्राप्त कुल 282 दावों में से 217 दावे निरस्त हो चुके हैं तथा 65 दावे वर्तमान तक ग्राम स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों के समक्ष विचाराधीन हैं जिनके यथाशीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गए।

3. RDSA Mining LLP को तहसील क्षेत्र पीपलखुंट के राजस्व ग्राम केलामेला में 10.4162 हैक्टर तथा राजस्व ग्राम दांता में 74.2490 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन एवं विपथन हेतु नॉन लिनियर प्रमाण पत्र जारी किये जाने तथा वन भूमि के बदले गैर वन भूमियों की प्रत्यावर्तन कार्यवाही :- इस संबंध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति पीपलखुंट के पत्र क्रमांक :- राजस्व/2022/387 दिनांक 05.08.2022 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 27.07.2022 के दौरान राज्य सरकार खान (गुप-2) विभाग जयपुर द्वारा जारी मंशा पत्र क्रमांक :- प.10(6) खान/गुप-2/2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 अनुसार राजस्व ग्राम केलामेला अन्तर्गत राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के अन्तर्गत जरिये प्लॉट संख्या 02/2019 क्षेत्र 10.4162 हैक्टर वन भूमि वास्ते खनिज मार्बल हेतु RDSA Mining LLP के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृति हेतु LOI जारी की गई।

उक्त क्रम में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार राजस्व ग्राम आराजी संख्या 1970 रकबा 15.50 हैक्टर में से 8.0090 हैक्टर तथा आराजी संख्या 1988 रकबा 14.75 हैक्टर में से 2.4072 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 10.4162 हैक्टर वन भूमियों के संबंध में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति केलामेला द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 17.05.2022 के अनुसार उक्त भूमियों पर किन्हीं भी दावेदारों का वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 की धारा 3 (1) अथवा धारा 3 (2) के तहत कोई दावा लम्बित नहीं है और उक्त भूमियों पर किसी भी वनवासी के पक्ष में कोई वनाधिकार अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है तथा उक्त भूमियों पर कोई वनवासी निवासरत् नहीं होने के आधार पर प्रेषित प्रस्ताव अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति पीपलखुंट द्वारा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति केलामेला की सिफारिशों को स्वीकृत करते हुए जिला स्तरीय समिति के समक्ष वास्ते अनुमोदन प्रस्तुत किया गया है।

इसी प्रकार राज्य सरकार खान (गुप-2) विभाग जयपुर के मंशा पत्र क्रमांक :- प.10(6) खान/गुप-2/2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 के द्वारा जारी मंशा पत्र अनुसार राजस्व ग्राम दांता अन्तर्गत राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के अन्तर्गत जरिये प्लॉट संख्या 01/2019 क्षेत्र 74.2490 हैक्टर वन भूमि वास्ते खनिज मार्बल हेतु RDSA Mining LLP के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृति हेतु LOI जारी की गई उक्त क्रम में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार राजस्व ग्राम दांता की आराजी संख्या 270 रकबा 1.3100 हैक्टर में से 0.9800 हैक्टर एवं आराजी संख्या 271 रकबा 0.0900 हैक्टर में से 0.0450 हैक्टर एवं आराजी संख्या 347 रकबा 0.5000 हैक्टर में से 0.3312 हैक्टर तथा आराजी संख्या 587/357 रकबा 0.9600 हैक्टर एवं आराजी संख्या 588/361 रकबा 0.2500 हैक्टर तथा आराजी संख्या 589/381 रकबा 0.3300 हैक्टर एवं आराजी संख्या 402 रकबा 0.6800 हैक्टर एवं आराजी संख्या 412 रकबा 2.2300 हैक्टर तथा आराजी संख्या 413 रकबा 0.7100 हैक्टर एवं आराजी संख्या 414 रकबा 0.2000 हैक्टर एवं आराजी संख्या 415 रकबा 0.2200 हैक्टर तथा आराजी संख्या 416 रकबा 0.2200 हैक्टर एवं आराजी संख्या 420 रकबा 0.2200 हैक्टर एवं आराजी संख्या 421 रकबा 0.6000 हैक्टर तथा आराजी संख्या 424 रकबा 0.5300 हैक्टर एवं आराजी संख्या 362 रकबा 5.9500 हैक्टर तथा आराजी संख्या 376 रकबा 25.7500 हैक्टर में से 0.1114 हैक्टर एवं आराजी संख्या 363 रकबा 0.9500 हैक्टर एवं आराजी संख्या 364 रकबा 9.2500 हैक्टर में से 3.1861 हैक्टर तथा आराजी संख्या 613/362 रकबा 23.0000 हैक्टर में से 20.4994 हैक्टर एवं आराजी संख्या 614/364 रकबा 6.5000 हैक्टर तथा आराजी संख्या 615/376 रकबा 33.0000 हैक्टर में से 28.5459 हैक्टर कुल किता 22 रकबा 74.2490 हैक्टर वन भूमियों के संबंध में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति दांता ग्राम पंचायत बोरी -पी द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 22.04.2022 के



अनुसार उक्त भूमियों पर किन्हीं भी दावेदारों का वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 की धारा 3 (1) अथवा धारा 3 (2) के तहत कोई दावा लम्बित नहीं है, परन्तु राजस्व ग्राम दांता की वन भूमि आराजी संख्या 416 एवं 420 रकबा 0.44 हैक्टर भूमि का श्री नारायण/विठली हकरू को वनाधिकार पत्र मिला हुआ है तथा आराजी संख्या 413, 414, 415 रकबा 1.13 हैक्टर भूमि हेतु श्री रंगजी/शारदा हकरू के पक्ष में वनाधिकार पत्र जारीशुदा है तथा आराजी संख्या 424 रकबा 0.53 हैक्टर भूमि पर श्री धीरजमल/काली मंगला के पक्ष में वनाधिकार पत्र स्वीकृत किया हुआ है। इसी प्रकार ग्राम की आराजी संख्या 421 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि पर श्री सुरेश/चम्पा हकरू के पक्ष में जारीशुदा है। उक्त पट्टा धारकों द्वारा अपने अधिकार पत्र जरिये 500/- रुपये तादाती पृथक-पृथक स्टांप पत्रों के राजकीय पक्ष में उक्त अधिकार पत्रों का समर्पण शपथ पत्रों से कर दिया गया है। जिन्हें स्वीकार किये जाने की सिफारिश के साथ उक्त भूमियों पर किसी भी वनवासी के पक्ष में अन्य कोई वनाधिकार अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है तथा उक्त भूमियों पर कोई वनवासी निवासरत् नहीं होने के आधार पर प्रेषित प्रस्ताव अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति पीपलखुंट द्वारा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति दांता की सिफारिशों को स्वीकृत करते हुए जिला स्तरीय समिति के समक्ष वारंते अनुमोदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में समर्पित 04 वनाधिकार पत्रों को विलोपित किये जाने के संबंध में आयुक्त महोदय जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर को स्पष्ट प्रतिवेदन भिजवाया जाकर उक्त दावों के समस्त स्तरों (SLC एवं MoTA तथा MoEF) से विलोपन कराने हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार वन भूमियों के विपथन के फलस्वरूप कमी वन भूमि रकबा की क्षतिपूर्ति हेतु जिला स्तर पर गठीत फोरेस्ट लैण्ड बैंक से गैर-वन भूमियों का प्रत्यावर्तन भी निम्न प्रकार से कर दिया गया है।

क्र. सं.	विपथन हेतु प्रस्तावित वन भूमियों का विवरण				वन भूमियों की क्षतिपूर्ति हेतु प्रत्यावर्तित गैर वन भूमियों का विवरण				प्रत्यावर्तन आदेश विवरण	
	तहसील क्षेत्र	ग्राम वन भूमि	खसरा संख्या	विपथित रकबा है. में	तहसील क्षेत्र	ग्राम गैर वन भूमि	खसरा संख्या	प्रत्यावर्तित रकबा है. में		
01	पीपलखुंट	केलामेला	1970	8.0090	धरियावद	सेवानगर	68/4	10.50	जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक :- राजस्व/भू. आ/2022-23/2207-13 दिनांक 31.05.2022	
02	पीपलखुंट	केलामेला	1988	2.4072						
किता 2				10.4162	किता 01			10.50		
01	पीपलखुंट	दांता	270	0.9800	धरियावद	पहाड़ा	964	4.2092	जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक :- राजस्व/भू. आ/2022-23/2535-45 दिनांक 17.08.2022	
02	पीपलखुंट	दांता	271	0.0450			964/1	5.4435		
03	पीपलखुंट	दांता	347	0.3312			1457	5.9120		
04	पीपलखुंट	दांता	587/357	0.9600			1457/10	9.9846		
05	पीपलखुंट	दांता	588/361	0.2500			2070	19.9507		
06	पीपलखुंट	दांता	589/381	0.3300			10	13.50		
07	पीपलखुंट	दांता	402	0.6800	प्रतापगढ़	आमलीखोरा				
08	पीपलखुंट	दांता	412	2.2300						
09	पीपलखुंट	दांता	413	0.7100						
10	पीपलखुंट	दांता	414	0.2000						
11	पीपलखुंट	दांता	415	0.2200						
12	पीपलखुंट	दांता	416	0.2200						
13	पीपलखुंट	दांता	420	0.2200						
14	पीपलखुंट	दांता	421	0.6000						
15	पीपलखुंट	दांता	424	0.5300						
16	पीपलखुंट	दांता	362	5.9500						
17	पीपलखुंट	दांता	376	0.1114						
18	पीपलखुंट	दांता	363	0.9500						
19	पीपलखुंट	दांता	364	3.1861						
20	पीपलखुंट	दांता	613/362	20.4994						
21	पीपलखुंट	दांता	614/634	6.5000						
22	पीपलखुंट	दांता	615/376	25.5459						
किता 22				74.2490	किता 9			75		

618

सत्य प्रतिलिपि  
भारी अधिकारी कोषिण  
नेक्टे प्रतापगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर  
प्रतापगढ़ (राज.)

उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियों अन्तर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं PESA Act 1996 नियम 2011 तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में विहित प्रावधानों की अनुपालना प्रकरण में की जाने उपरान्त प्रस्तावित माईनिंग प्रकरणों को अनुमादित किया जाकर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा नॉन लिनियर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी किये जावे।

4. ग्रामीण सड़क सुहागपुरा से अचलावदा T-11 0/0 KM जब 8/0 KM के मध्य आने वाले वन भूमि रकबा 4.62 हैक्टर के विपथन हेतु लिनियर प्रमाण पत्र तथा प्रत्यावर्तन कार्यवाही :- इस संबंध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति पीपलखुट के पत्र क्रमांक :- राजस्व/2022/271 दिनांक 05.07.2022 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 05.07.2022 के दौरान अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय प्रतापगढ़ (मुख्यालय अरनोद) के पत्र क्रमांक :- 2022-23/46 दिनांक 18.04.2022 के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार Construction of Upgradation Rural road From T-11 Suhagpura to Achlawada Upto Block Border Road KM 0/0 to 8 /0 KM के मध्य आने वाली वन भूमियों क्रमशः राजस्व ग्राम पठार, कुणी, सुजानपुरा, पनावला, डांगपुरा अन्तर्गत 4.62 हैक्टर वन भूमि वास्ते वन भूमियों के संबंध में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति मोटीखेड़ी/सुहागपुरा द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 20.05.2022 के अनुसार उक्त भूमियों पर किन्हीं भी दावेदारों का वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 की धारा 3 (1) अथवा धारा 3 (2) के तहत कोई दावा लम्बित नहीं है और उक्त भूमियों पर किसी भी वनवासी के पक्ष में कोई वनाधिकार अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है तथा उक्त भूमियों पर कोई वनवासी निवासरत् नहीं होने के आधार पर प्रेषित प्रस्ताव अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति पीपलखुट द्वारा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति मोटीखेड़ी/सुहागपुरा की सिफारिसों को स्वीकृत करते हुए जिला स्तरीय समिति के समक्ष वास्ते अनुमोदन प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त क्रम में वन भूमियों के विपथन फल स्वरूप कमी वन भूमि रकबा 4.62 की क्षतिपूर्ति हेतु जिला स्तर पर गठीत फोरेस्ट लैण्ड बैंक से गैर-वन भूमियों का प्रत्यावर्तन भी निम्न प्रकार से कर दिया गया है।


क्र. सं.	विपथन हेतु प्रस्तावित वन भूमियों का विवरण				वन भूमियों की क्षतिपूर्ति हेतु प्रत्यावर्तित गैर वन भूमियों का विवरण				प्रत्यावर्तन आदेश विवरण
	तहसील क्षेत्र	ग्राम वन भूमि	खसरा संख्या	विपथित रकबा है. में	तहसील क्षेत्र	ग्राम गैर वन भूमि	खसरा संख्या	प्रत्यावर्तित रकबा है. में	
01	सुहागपुरा	पठार	06	0.6600	छोटीसादड़ी	राजपुरा	21	5.00	जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक :- राजस्व/ भू आ/2022-23/ 2546-51 दिनांक 17.08.2022
02			274						
03			275						
04			276						
05			293						
06			295						
07		कुणी	207	1.0200					
08			192						
09			191						
10			154						
11		सुजानपुरा	8	1.4300					
12			03						
13			01						
14			314						
15			315						
16			366						
17		पनावला	120	0.8600					
18			335						
19			365						
20			333						
21			121						
22			122						
23		डांगपुर	119	0.6500					
24			375						
किता 24			4.6200	किता 01			5.00		

उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियों वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं PESA Act 1996 नियम 2011 तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में विहित प्रावधानों की अनुपालना प्रकरण में




की जाने उपरान्त प्रस्तावित माईनिंग प्रकरणों को अनुमोदित किया जाकर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा लिमियर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी किये जावे।


बैठक सहर्ष समाप्त की गई।



(जितेन्द्र भीणा) R.A.C.S  
उपायुक्त TAd प्रतापगढ़  
सदस्य सचिव  
जिला स्तरीय वनाधिकार



(राजीव कुमार) IFS  
उप वन संरक्षक  
प्रतापगढ़  
सदस्य  
जिला स्तरीय वनाधिकार



(सौरभ स्वामी) I.A.S  
जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला  
स्तरीय वनाधिकार समिति,  
प्रतापगढ़

प्रतिलिपी :- वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. प्रमुख शासन सचिव महोदय जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग जयपुर (राज.)
2. आयुक्त महोदय जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर (राज.)
3. उप वन संरक्षक प्रतापगढ़
4. उपायुक्त जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर (राज.)
5. उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़/अरनोद/धरियावद/छोटीसादड़ी/पीपलखुंट
6. तहसीलदार प्रतापगढ़/अरनोद/धरियावद/छोटीसादड़ी/पीपलखुंट/दलोत/सुहागपुरा
7. विकास अधिकारी प्रतापगढ़/अरनोद/धरियावद/छोटीसादड़ी/पीपलखुंट/दलोत/सुहागपुरा/धमोत्तर
8. क्षेत्रिय वन अधिकारी प्रतापगढ़/देवगढ़/धरियावद/छोटीसादड़ी/पीपलखुंट
9. अधिशाषी अनियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-II मुख्यालय अरनोद जिला प्रतापगढ़
10. ग्राम पंचायत केलामेला/बोरी-पी/चांदौली/सुहागपुरा/सेवानगर
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर. डी. एस. ए. माईनिंग एल.एल.पी उदयपुर
12. गार्ड फाईल

सत्य प्रतिलिपि

(Signature)  
प्रभारी अधिकारी कोपिंग  
कलेक्टर प्रतापगढ़ (ग)

## कार्यालय जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.)

E-mail :- dm-pra-rj@nic.in

Fax No- 01478-222262

क्रमांक : राजस्व/भू.आ./2022-23/२२०७-१३

दिनांक :- 31.05.2022

- आदेश :-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर. डी. एस. ए. माईनिंग एल.एल.पी उदयपुर के पत्र क्रमांक :- RDSA/Mines/21-22/03 दिनांक 12.07.2021 के अनुसार राजस्थान सरकार खान (ग्रुप-2) विभाग के पत्र क्रमांक :- प.10(6)खान/ग्रुप-2/2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 के द्वारा मैसर्स RDSA MINING L.P. पाटनी सदन, तेली मोहल्ला मदनगंज-किशनगढ़ जिला अजमेर के पक्ष में निर्देशक, खान एवं भू-विभान विभाग, उदयपुर के पत्र समसंख्यक पत्र क्रमांक :- निदे/प.2/प्रताप/डेलि/प्लॉट सं. 01/2019/2020/563 दिनांक 10.12.2020 एवं 374 दिनांक 31.03.2021 से तहसील क्षेत्र पीपलखुंट के निकटतम ग्राम कैलामेला तहसील पीपलखुंट अन्तर्गत 10.4162 हैक्टर वन भूमि अन्तर्गत डेलिनियेट प्लॉट हेतु LOI जारी करने की मंशा रखती है।

उपर्युक्त वन भूमियों के बदले गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन/विपथन हेतु आवेदक संस्था द्वारा कार्यालय हाजा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध कार्यालय के पत्र क्रमांक :- राजस्व/भू.आ./2021-22/899-910 दिनांक 13.07.2021 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक :- 1620-31 दिनांक 29.09.2021 तथा पत्र क्रमांक :- 1671-81 दिनांक 14.10.2021 के द्वारा समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार प्रतापगढ़ को लिखा जाने पर उपखण्ड अधिकारी धरियावद के पत्र क्रमांक :- राजस्व/2021-22/09 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा प्रस्तावित अनुसार प्रस्तावित प्रयोजनार्थ वन भूमियों के बदले राजस्व ग्राग सेवानगर की आराजी संख्या 68/4 रकबा 37.5624 हैक्टर में से 10.50 हैक्टर गैर वन भूमियों के विपथन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे।

उक्त क्रम में कार्यालय के पत्र क्रमांक :- राजस्व/वन भूमि/प्रत्यावर्त/2021-22/34-34 दिनांक 12.01.2022 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक :- 2117 दिनांक 28.04.2022 के द्वारा उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ को लिखा जाने पर उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के पत्र क्रमांक :- एफ./तक./उवसं./2021-22/3230-31 दिनांक 30.05.2022 के द्वारा वन भूमि के बदले प्रस्तावित गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम आवंटित/अन्तरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान सरकार खान (ग्रुप-2) विभाग के पत्र क्रमांक :- प.10(6)खान/ग्रुप-2/2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 के द्वारा मैसर्स RDSA MINING L.P. पाटनी सदन, तेली मोहल्ला मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर के पक्ष में निर्देशक, खान एवं भू-विभान विभाग, उदयपुर के पत्र समसंख्यक पत्र क्रमांक :- निदे/प.2/प्रताप/डेलि/प्लॉट सं. 01/2019/2020/563 दिनांक 10.12.2020 एवं 374 दिनांक 31.03.2021 से तहसील क्षेत्र पीपलखुंट के निकटतम ग्राम कैलामेला तहसील पीपलखुंट अन्तर्गत 10.4162 हैक्टर वन भूमि अन्तर्गत डेलिनियेट प्लॉट हेतु LOI जारी करने की मंशा पत्र में वर्णित वन भूमि रकबा की क्षतिपूर्ति हेतु राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम सेवानगर की आराजी संख्या 68/4 रकबा 37.5624 हैक्टर में से 10.50 हैक्टर भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत Set Apart की जाकर उक्त भूमि रकबा Forest Land Bank में समायोजित करते हुए वन विभाग को वृक्षारोपण एवं वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तित/विपथित/आवंटित की जाती है।

तहसीलदार धरियावद आरक्षित/आवंटित भूमि का भौतिक रूप से कब्जा क्षेत्रिय वन अधिकारी, रैंज धरियावद को सुपुर्द कर राजस्व अभिलेख में दर्ज करें व नक्शे में तरगीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आवंटित/आरक्षित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जा सकेगा।

(सौरभ स्वामी)  
जिला कलक्टर

प्रतापगढ़

दिनांक :- 31.05.2022

क्रमांक : राजस्व/भू.आ./2022-23/२२०७-१३

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-


1. उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़
2. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/विकास अधिकारी धरियावद
3. क्षेत्रिय वन अधिकारी, रैंज धरियावद
4. ग्राम पंचायत अणत पंचायत समिति धरियावद जिला प्रतापगढ़
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर. डी. एस. ए. माईनिंग एल.एल.पी उदयपुर
6. आदेश पंजिका।

सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी कोपिंग  
प्रतापगढ़ (राज)

जिला कलक्टर  
प्रतापगढ़



 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राजपत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	<b>साधिकार प्रकाशित</b>	<b>Published by Authority</b>
	<b>भाद्र 15, बुधवार, शके 1945-सितम्बर 06, 2023</b> <i>Bhadra 15, Wednesday, Saka 1945- September 06, 2023</i>	

**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**वन विभाग (क)**

**विज्ञप्ति**

**जयपुर, अगस्त 29, 2023**

**संख्या प. 2(24)वन/2023** :-चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में बतलाई गई वनभूमि अथवा बंजरभूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वनउपज या उसके किसी भाग की हकदार हैं। और चूंकि सरकार पंचायत भूमि और बंजरभूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है:

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जाँच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम, संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्वारा, वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन, जहाँ तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्वारा कथित वन भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा:

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाए गए कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख में कथित वन में किसी खदान से पत्थर

निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,

शासन सचिव, वन।

**प्रथम अनुसूची**

संख्या	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण	
					खसरा नम्बर	रकबा हे० में
1	2	3	4	5	6	
1	सेवानगर रैंज- धरियावद	धरियावद	प्रतापगढ़	ग्राम- सेवानगर	171/68	10.50 है.
				उत्तर:- खसरा नम्बर: 62 एवं 68 ग्राम सेवानगर पूर्व :- खसरा नम्बर: 68 ग्राम सेवानगर दक्षिण:- खसरा नम्बर: 68/4 ग्राम सेवानगर पश्चिम:- खसरा नम्बर: 68/4, 68/35 एवं 68/2 ग्राम सेवानगर		

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)

उप वन संरक्षक,

प्रतापगढ़



## द्वितीय अनुसूची

वनखण्ड - सेवानगर      ग्राम - सेवानगर  
 रेंज - धरियावद      तहसील - धरियावद  
 वन मण्डल - प्रतापगढ़      जिला - प्रतापगढ़

क्र.सं.	नाम प्रजाति (स्थानीय)	नाम प्रजाति (बोटैनिकल)
1	सागवान	Tectona grandis Linn.
2	तैदू/टिमरू	Diospyros melanoxylon Roxb.
3	आंकडिया	Holorrhena antidysenterica
4	बांस	Dendrocalamus strictus
5	चुरेल	Holoptelea integrifolia Planch
6	आंवला	Emblica officinalis Gaerth
7	नीम	Azadirachta indica A.Juss.
8	ईमली	Tamarindus indica Linn.
9	करंज	Pongamia pinnata Linn.
10	बैर	Zizyphus oenoplia

(तेजपाल मीणा)  
 क्षेत्रीय वन अधिकारी  
 धरियावद

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)  
 उप वन संरक्षक,  
 प्रतापगढ़

**प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र  
(जो लागू नहीं होता है उसे काट दे)**

वनखण्ड - सेवानगर                      ग्राम - सेवानगर  
रेंज - धरियावद                      तहसील - धरियावद  
वन मण्डल - प्रतापगढ़                      जिला - प्रतापगढ़

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण मगरी पायती है उक्त भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रत्यावर्तन प्रकरण Open cast marble mining कार्य हेतु जिला/वनमंडल प्रतापगढ़ में कुल 10.4162 हे० वनभूमि प्रत्यावर्तन (आन लाईन आवेदन संख्या- FP/RJ/MIN/142600/2021) के प्रकरण में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि का आवंटन जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक राजस्व/भूआ/प्रत्यावर्तन/2022-23/2207-13 दिनांक 31-05-2022 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया गया। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरो का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा विकास कार्य कराया जाना है। इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है। क्षेत्र को रक्षित वन घोषित कराना प्रस्तावित है।
3. वर्तमान में 10.50 है। भूमि पर प्लान्टेशन एवं अन्य विकास कार्य कराये जाने है इनमें कोई खनन कार्य नहीं हुए है। भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।
4. भूमि पर वृक्षों का धनत्व कुछ क्षेत्र में 0.3 है। तथा कुछ क्षेत्र में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियां सागवान, तैदु, ढाक, कसोद, बांस, आंवला, चुरेल, शीशम, नीम इत्यादि प्राकृतिक रूप से विद्यमान है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र राजस्व बंजर (राजस्व बंजर/चरागाह/खातेदारी/वन) भूमि है तथा चारो ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम 5 में कर दिया गया है।
6. वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को राजस्व नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र की जी.टी. शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे हैं किन्तु अब उल्लेखित वनक्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट का प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

(तेजपाल मीणा)  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
धरियावद

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)  
उप वन संरक्षक,  
प्रतापगढ़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



**आज का राशिफल** गुरुवार, 27 जुलाई 2023

सूर्यास्त: आज शाम **07:20** बजे  
सूर्योदय: आज सुबह **05:56** बजे

चन्द्रोदय: आज दोपहर **1:06** बजे  
चन्द्रास्त: आज रात **12:25** बजे

<b>मेघ</b>	बू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ किसी विशेष कार्य के होने से हर्ष होगा। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा, व्यापारिक कार्यों से यात्रा सम्भव है।
<b>वृषभ</b>	ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नई योजनाएं पूर्ण होंगी। किसी के भरोसे न रखकर अपना कार्य स्वयं करें।
<b>मिथुन</b>	क, की, कु, कू, छ, छे, के, को, ह दिन महत्वपूर्ण हैं। कई आवश्यक अनुबंध होंगे। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। व्यापार में अधिक लाभ प्राप्ति होगी।
<b>कर्क</b>	हि, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो दिन की शुरुवात में कार्यों की अधिकता रहेगी। बहनों से मन मुटाव की स्थिति बनेगी। जोखिम के कार्य से बचना चाहिए।
<b>सिंह</b>	मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे कार्यस्थल पर सहकर्मियों से मन मुटाव होगा। व्यवसाय में उन्नति होगी। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है।
<b>कन्या</b>	टो, पा, पी, पू, घ, ण, ट, पे, पो यात्रा में अपनी वस्तुएं संभालकर रखें। व्यावसायिक कार्य सिद्धि होगी। नवीन व्यापार के प्रस्ताव मिलेंगे।
<b>तुला</b>	रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते व्यापारिक कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा। नवीन कार्यों पर विशेष प्रयास करें। मित्रों के सहयोग से कुटुंब समस्याएं हल होंगी।
<b>वृश्चिक</b>	तो, ना, नी, नू, या, यी, यू अपनी प्रतिभा से परिवार का मान बढ़ाएंगे। साझेदारी में आपसी मनुमुटाव के चलते व्यापार प्रभावित होगा।
<b>धनु</b>	ये, यो, भा, भी, भू, धा, फ, ड, भे विचारों में सकारात्मकता लाएं। कोष, उत्तेजन पर संयम रखें। सन्तान के विवाह की चिंता रहेगी। यात्रा सम्भव है।
<b>मकर</b>	भो, जा, जी, जु, खा, खू, गा, गी बुद्धि विवेक से रुके कार्य पूर्ण होंगे। सन्तान की तरक्की से खुश होंगे। लोगों के व्यवहार के कारण आप क्रोधित होंगे।
<b>कुम्भ</b>	गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, बा अपनी आगामी योजनाओं की ओर ध्यान दें। कार्य की गति बढ़ेगी। कठिन कार्यों में सौच-समझकर ही हाथ डालें।
<b>मीन</b>	सी, डू, थ, झ, ज, दे, दो, चा, चि कार्य में सफलता होगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। परिवार में तनाव रहेगा। आर्थिक स्थिति कष्टकारी होगी।

<b>ज्यो. पंचदंन श्यामनारायण व्यास,</b>	पंचांगकर्ता, उज्जैन
<b>ग्रह-नक्षत्र</b>	<b>ज्योतिर्विद: पं. धनश्यामलाल स्वर्णकार</b>
<b>शुभ वि. सं:</b> 2080	<b>हिजरी सम्वत:</b> 1445, <b>ऋतु:</b> वर्षा
<b>संवत्सर का नाम/पितृवर्ग</b>	<b>मू. मास:</b> मुहर्रम-8 <b>मास:</b> प्र.श्रावण (अधिक)
<b>शाके सम्वत:</b> 1945	<b>अयन:</b> दक्षिणाण्ण <b>पक्ष:</b> शुक्ल

**आज का दिन**

**गुरुवार-27 जुलाई, 2023**

**सूर्योदय/काशीन लन व ग्रह स्थिति**

बु.म.	3
6	4
के.7.च.	रा.1.गु.
8	10
9	12
	श.11

**श्रेष्ठ चौघडिया:** आज सूर्योदय से प्रातः 07-32 तक शुभ, पूर्वाह्न 10-53 से अपराह्न 03-54 तक कर्माशु, चर, लाभ न अमृत तथा सायं 05-34 से सूर्यास्त तक अमि के श्रेष्ठ चौघडिए हैं एवं दोपहर 12-06 से दोपहर 01-00 बजे तक अभिषेक नामक श्रेष्ठ घण्टिका है। जोआश्वक शुभकार्यारम्भ के लिए अत्युत्तम हैं। **दिशाशूल:** गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्रा में दिशाशूल रहता है। चंद्र स्थिति के अनुसार आज पश्चिम-दक्षिण दिशा की यात्रा लाभदायक व शुभप्रद है। **राहुकाल:** दोपहर बाद 1-30 बजे से अपराह्न 3-00 बजे तक राहुकाल वेला में शुभकार्यारम्भ यथासंभव वर्जित रहना हितकर है। **चंद्रमा:** चंद्रमा सायं 07-28 तक तुला राशि में, इसके बाद वृश्चिक राशि में रहेगा। **नक्षत्र:** विशाखा "मिश्र व अधोमुख" संज्ञक नक्षत्र राशि 01-28 तक, तत्पश्चात् अनुराधा "मुद्र व क्षिप्रमुख" संज्ञक नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र में पदार्थ संग्रह, अलंकार, कारगरी, चित्रकारी, प्रहार व औषध सेवन आदि कार्य करने योग्य हैं। शरीर व मांगलिक कार्य शुभ नहीं हैं। अनुराधा नक्षत्र में भी सभी शुभाशुभित कार्य शुभ होते हैं, पर अभी समय शुद्ध नहीं है। **योग:** शुभ नामक नैसर्गिक शुभ योग दोपहर बाद 01-38 तक, तत्पश्चात् शुचल नामक नैसर्गिक शुभ योग है। **विशिष्ट योग:** रवियोग नामक शास्त्रशाली शुभ योग सम्पूर्ण दिवारात्रि तथा सर्वाशुसिद्धि नामक शुभ योग रात्रि 01-28 से प्रा। **करण:** कौलव नामकरण अपराह्न 03-48 तक, तदुपरान्त तैत्तिल व गारुडि करण रहेगे। **व्रतोत्सव:** आज श्री हरि जयन्ती, महाप्रातः प्रातः 08-11 से दोपहर बाद 01-20 तक।

**आज जन्म लेने वाले बच्चे** आज जन्म लेने वाले बच्चों के नाम (ति, तू, ते, तो, न) आदि अक्षरों पर रखे जा सकते हैं। सायं 07-28 तक जन्मे जालकों की जन्म राशि तुला व इसके बाद जन्मे जालकों की जन्म राशि वृश्चिक है। तुला राशि के स्वामी शुक्र व वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं।

**आपका सवाल** **ज्योतिर्विद: पं. मुकेश भारद्वाज**  
**वास्तु के अनुसार घर में कितनी खिड़कियां होनी चाहिए?**  
- गजेंद्र गुप्ता  
उपरोक्त सवाल का जवाब विस्तृत राशिफल में इस लिंक पर विजिट कर देखें।  
patrika.com/topic/jaipur-voice/

आपके पास भी है कोई सवाल तो हमें वाट्सएप करें - 8955003879

**पढ़ें फैसली एन्टो सोशल**

टैरो, अंकगणित, वैदिक ज्योतिष (सनातन-मुनसाइन) अनुसार, साथ में दम्पती, विद्याार्थी, व्यापार, नवकर, नौकरीशाला, स्वास्थ्य और रिश्तों के लिए कैसे रहेगा आज का दिन। उपाय व वास्तु टिप्स भी।

**पढ़ें और देखें वीडियो...**  
**Patrika.com** के रीडर्स कनेक्ट सेक्शन में रोजाना

**करगिल विजय दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि**



**चित्तौड़गढ़ @ पत्रिका.** राजकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद जवानों को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्राचार्य डॉ. ममता शर्मा ने भारतीय सेना के उन जांबाज सिपाहियों से परिचित कराया जिन्होंने इस युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉ. सी.एल. महावर ने बताया कि किस प्रकार एक चरवाहे ने भारतीय सेना को करगिल में पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ एवं कब्जा जमा लेने की सूचना दी। कार्यक्रम अधिकारी प्रो. वर्षा सायकलम इतिहास विभाग की सहायक आचार्य प्रो. शंकरबाई मीणा, स्वयंसेविका संगीता चौहान आदि ने विचार व्यक्त किए।

**धार्मिक आयोजन:** कई भक्तों ने लिया भाग

## कांवड़ यात्रा में हर-हर महादेव की गूंज

**पत्रिका** पत्रिका न्यूज नेटवर्क patrika.com

डूंगला क्षेत्र की बिलोट ग्राम पंचायत क्षेत्र के तलावदा गांव के तलेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई कांवड़ यात्रा लुणढा स्थित केरेश्वर महादेव पहुंचकर संपन्न हुई, बीच राह में कांवड़ यात्रा का जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भोले के जयकारे गूंज उठे।

कावड़ यात्रा के दौरान पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी, पूर्व जिला परिषद सदस्य हनुमंत सिंह बोहेड़ा, डेयरी चेयरमैन बद्री लाल जाट, पूर्व ब्लाक अध्यक्ष उत्सव कुमार भाणावत, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष सिद्धार्थ तातेड़, कांग्रेस ब्लाक अध्यक्ष श्री लाल अहीर, मंडल अध्यक्ष संग्राम सिंह, लुणढा सरपंच जगदीश धाकड़ तथा लोकेंद्र कुंवर झाला व देवेंद्र सिंह झाला आदि मौजूद रहे।

**सामूहिक एकासन का आयोजन**

भदेसर, बानसेन जैन स्थानक में महासती पारस कंवर व साध्वी सुप्रभा के सानिध्य में जैन समाज के चौबीस तीर्थंकरों के 140 भवों के सामूहिक एकासन व दो घंटे के सामूहिक जाप हुए। धर्म सभा में भादसोड़ा, सांवलियाजी, सुरपुर और



डूंगला, तलावदा से केरेश्वर महादेव तक कावड़ यात्रा निकालते ग्रामीण।



भदेसर . एकासन पर बैठे श्रावक



निम्बोहेड़ा. बैठक में उपस्थित समिति सदस्य।

अन्य संघों के अतिथियों का स्वागत अभिनंदन संघ अध्यक्ष बाबूलाल

**खेलों के विकास के लिए होगा चिंतन**

## शारीरिक शिक्षकों की जिला स्तरीय दो दिवसीय संगोष्ठी आज से

**बड़ीसावड़ी @ पत्रिका.** प्रारंभिक शिक्षा के शारीरिक शिक्षकों की दो दिवसीय जिला स्तरीय संगोष्ठी गुरुवार से बानसी स्थित धुंधली मल स्वामी की धूणी पर प्रारंभ होगी।

आयोजन समिति के केलाश मालू ने बताया कि उद्घाटन सत्र 11:30 बजे प्रारंभ होगा। शारीरिक शिक्षक संघ के उदय सिंह रावत ने बताया कि उद्घाटन सत्र के बाद राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सम्मिलित किए गए नए खेलों पर खेल विशेषज्ञों द्वारा विशेष रूप से वार्ता दी जाएगी। लक्ष्मीकांत चौबीसा ने ब्लाक के शारीरिक शिक्षकों को जिले से आने वाले सभी शारीरिक शिक्षकों के लिए अच्छी व्यवस्था जुटाने के निर्देश दिए। शारीरिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष

**प्रशासनिक स्वीकृति जारी**

## आईटीआई विजयपुर में चार नए ट्रेड

**चित्तौड़गढ़ @ पत्रिका.** विजयपुर के आईटीआई में 4 ट्रेड शुरू होंगे। इनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

राजस्थान धरोहर प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने बताया कि बजट घोषणा 2023/24 के अनुसार प्रदेश में 16 नवीन आईटीआई कॉलेज जाने के संदर्भ में श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग जोधपुर द्वारा जारी आदेश में चित्तौड़गढ़ विधानसभा

**औषधीय बगीचे को देखा**

## औषधालय का किया निरीक्षण



चिकारड़ा . औषधालय में बगीचे का निरीक्षण करते हुए।

**चिकारड़ा @ पत्रिका,** आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर चिकारड़ा का भौतिक सत्यापन डॉ मुकेश शर्मा द्वारा बुधवार को किया गया। इस मौके पर डॉ मुकेश शर्मा के अतिथ्य में पेंधाघरोपण भी किया गया। डॉ. बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि डॉ शर्मा ने औषधालय का भौतिक सत्यापन किया। डॉ बनवारी लाल द्वारा औषधि पौधों का जो बगीचा लगाया गया है इस क्षेत्र और जिले के लिए मिसाल है। डॉ बनवारी लाल ने

बताया कि औषधीय पौधे अर्जुन प्रत्येक घर में लगे तथा चिकारड़ा ग्राम की पहचान अर्जुन नाम से बने। इसके लिए डॉ शर्मा ने औषधालय में अर्जुन के 500 से ज्यादा पौधे तैयार किए हैं। जिसको वितरण कर इसकी उपयोगिता बताई जाएगी। इस मौके पर चिकारड़ा आयुर्वेदिक औषधालय के डॉ बनवारी शर्मा, नर्स रेखा कुमावत, योगा टीचर दशरथ सिंह राठौड़ के साथ अशा आदि उपस्थित थे।

## डूंगला में वॉलीबॉल का रोमांच कल

**पत्रिका** पत्रिका न्यूज नेटवर्क patrika.com

**डूंगला.** कस्बे में शुक्रवार से तीन दिवसीय राज्य स्तरीय स्टेयर्स वॉलीबॉल प्रतियोगिता खेली जाएगी। स्टेयर्स युथ के मोहित

नलवाया ने बताया कि कस्बे में महावीर वॉलीबॉल संस्थान के तत्वावधान में शुक्रवार से तीन दिवसीय स्टेयर्स वॉलीबॉल की राज्य स्तरीय डे-नाइट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें महिला एवं पुरुष वर्ग में 40 टीमों के 500 खिलाड़ी भाग लेंगे।

पढ़ें ज्यादा खबरें, देखें फोटो/वीडियो

#Readers Connect Chittoorgharh News

patrika.com/chittoorgharh-news



इन आइकन से जुड़ी सामग्री क्यूआर कोड स्कैन कर पढ़ें, देखें, सुनें

क्यूआर कोड

मोबाइल से करें स्कैन



समस्याएं

सुझाव

फोटो

वीडियो

पॉडकास्ट

अपनी खबरें, समस्याएं, सुझाव भेजें - 9929416101 ई-मेल-chittoorgharh.patrika@in.patrika.com

**ब्रीफ न्यूज**

## सांवलिया सेठ की सजी झांकी, बैलगाड़ी में आया छप्पन भोग



सांवलिया सेठ की संजीव झांकी के साथ संत चंद्र भारती महाराज व श्रद्धालु।

**पत्रिका** पत्रिका न्यूज नेटवर्क patrika.com

**चित्तौड़गढ़.** प्रख्यात कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ के दरबार में कई भक्त मननते मांगते हैं। मनोकामना पूरी होने पर अलग-अलग गिरी ने बताया कि बैठक में मंदिर के विकास व व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। भगवान भोलेनाथ के सावन माह के अंतिम सोमवार को शोभायात्रा व अखाड़ा प्रदर्शन के आयोजन को लेकर रूप रेखा तैयार की गई। इस अवसर पर सयुक्त उपाध्यक्ष सरपंच भोपराज टांक, अजय मंघनानी, सान्ठन मंत्री लोकेश सोमाणी, कोषाध्यक्ष गोविंद सोनी, कन्हैयालाल कुमावत, नर्मदा शंकर आमेडा, कमलेश माली, अनील माली, पवन आदि उपस्थित थे।

**Government of India**  
**Ministry of Environment, Forest and Climate Change**  
(Forest Conservation Division)  
Indira Paryavaran Bhawan,  
Aigian, Jorbagh Road, New Delhi - 110003  
Dated: 7th June, 2023

To,  
The Principal Secretary (Forests),  
Department of Environment & Forests, Government of Rajasthan,  
Jaipur

**Subject: Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in favour of RDSA Mining LLP for opencast Marble Mining in Revenue Village Dantsa, Tehsil- Pipalkhuth, District - Pratnagarh, Rajasthan (Online proposal No. FPIR/JMIM/142559/2021).**

Madam/Sir,

I am directed to refer to the Government of Rajasthan's letter No. P.1 (155)/VAN/2022 dated 11.01.2023 on the subject mentioned above seeking prior approval of the Central Government under Section-2(ii) of the Forest (Conservation) Act, 1980 and to say that the said proposal has been examined by the Advisory Committee constituted by the Central Government under Section-3 of the aforesaid Act.

2. After careful examination of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendations of the Advisory Committee, and its acceptance by the competent authority in this Ministry, in-principle/Stage-I approval of the Central Government is hereby accorded for diversion of 74.2490 Ha. Forest Land in favour of RDSA Mining LLP For opencast Marble Mining in Revenue Village - Dantsa, Tehsil- Pipalkhuth, District - Pratnagarh, Rajasthan subject to fulfillment of the following conditions:

- Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;
- Embankment of sufficient height shall be constructed by the User Agency along the bank of the River Mahi so that the muck and waste does not enter into the river;
- A green belt along with this embankment should be raised for a width of 50 mtrs at the cost of User Agency under supervision of the State Forest Department;
- Muck will not be disposed on forest/chargah land outside the proposed diversion area;
- Six feet boundary wall shall be constructed along the boundary of the Non Forest Land (NFL) proposed for CA in all the three patches towards the habitation and agriculture fields to prevent encroachment at the cost of user agency;
- Compensatory Afforestation:

- The Compensatory afforestation over equivalent identified non-forest land of 75 ha. in three patches located in villages namely Amlikhota (16 ha), Miyala (13.50 ha) and Pahada (45.50 ha) located in Pratnagarh District of Rajasthan shall be raised by the State Forest Department at the cost of the User Agency. Since the identified non-forest land cannot accommodate 1000 plants/ha, therefore balance seedlings shall be planted over identified 85 ha degraded forest land (DFL) in a single patch located under Sukad (R.F), Dhawada Village, Chotisadri Tehsil under Pratnagarh District of Rajasthan as per the prescription of the Working Plan at the cost of the User Agency;
- The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required on the CA land, shall be deposited in advance with the Forest Department by the user agency. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;
- The non-forest land identified for CA shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department and subsequently notified by the State Government as RF under Section-4 or PF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest (Conservation) Act, 1980. A copy of the Notification shall be submitted along with the CA.
- The KML files of diverted area and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage II approval;
- The User Agency shall transfer the funds towards the cost of Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal in accordance with the MoEF&CC's guidelines dated 6.01.2022 read with guidelines dated 22.03.2022;
- Safety Zone Management: Following activities, at project cost, shall be undertaken by the user agency for the management of safety zone as per relevant guidelines issued by the Ministry:
  - User Agency shall ensure demarcation of safety zone (7.5 meter strip along the inner boundary of the mining lease area), and its fencing, protection and regeneration by erecting adequate number of 6 feet high RCP boundary pillars inscribed with DGPS coordinates with barbed wire fencing and deploying adequate number of watchers under the supervision of the State Forest Department;
  - Boundary of the safety zone of the mining lease, adjacent to habitation/roads, should be properly fenced by the user agency;
  - Safety zone shall be maintained as green belt around mining lease and regeneration shall be taken up in this area by the user agency at project cost under the supervision of the State Forest Department;
  - Afforestation on degraded forest land to be selected elsewhere, measuring one and a half times the area under safety zone, shall also be done at the project cost under the supervision of the State Forest Department. The degraded forest land (DFL) so selected will be informed to the MoEF & CC with stage file approval and Stage II approval and afforestation will be done within three years from the date of Stage-II clearance and maintained thereafter in accordance with the approved Plan in consultation with the State Forest Department; and
  - The State Government and the user agency shall ensure that safety zone is maintained as per the prescribed norms;
  - The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;
  - All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA account only through e-portals (https://parivesh.nic.in/). Amount deposited through other modes will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance;
  - The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;
  - The compliance report shall be uploaded on e-portals (https://parivesh.nic.in/);
  - At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;
  - Trees should be felled in phased manner as per the requirement in the approved Mining Plan with prior permission of concerned DFO;
  - The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;
  - The User Agency shall undertake mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan shall be executed by the User Agency from the very first year, and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, in the concerned State Government and the concerned Integrated Regional Office of the Ministry. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, the Nodal Officer or the concern Regional Officer (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, such reclamation activities are satisfactorily executed;
  - Any other condition that the concerned Integrated Regional Office of this Ministry may stipulate, with prior approval of competent authority, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;
  - The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project;
  - Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. S-2/2017-FC dated 26.03.2019.
  - After receipt of compliance report on fulfillment of the conditions mentioned above, the proposal shall be considered for final approval under Section-2(ii) of the Forest (Conservation) Act, 1980. Transfer of forest land shall not be effected till final approval is granted by the Central Government in this regard.

Yours faithfully,  
(Sunnet Bhardwaj)  
Assistant Inspector General of Forests



## 'Production To Boost Revival Of Traditional Food Habits'

Chief Engineer (Construction)-IV,  
North Western Railway, Udaipur city,  
Rajasthan for and on behalf of the  
Government of India, invites e-tender under "Two  
Packet System" for the following work:-  
**Tender No. :- B/1-M/1-T-01** 2. **Name of  
the project :-** Construction of a new  
line of new broad gauge track, including  
formation, bridges, station buildings,  
quarters, BRLHS and other ancillary  
facilities works and electrical general works in  
the area of 15.22 Km. between station  
15.1500 between Badi Sadr(excl.) and  
Barwara Gojar (incl.) stations in Badi  
Sadr to Nimach via Chhoti Sadr new line  
project. 3. **Approximate cost of work :-**  
Rs. 12222.00. 4. **Minimum security  
to be deposited :-** Rs. 7764200.00 5. **Tender  
closing date and time :-** 18.08.2023,  
15:00 Hrs. 6. **Detail of particular, where e-  
tendering can be seen and downloaded :-**  
[www.reps.gov.in](http://www.reps.gov.in) 7. **Official  
address :-** dyceudv2@gmail.com **Note :-**  
**No Manual tender will be accepted.**